

## ऋण-सह-बंधक समझौता

यह समझौता ("समझौता") परिशिष्ट I में उल्लिखित तिथि और वर्ष को किया गया है

### के बीच

फॉक्सबोगन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी के रूप में शामिल है और जिसका पंजीकृत कार्यालय सिल्वर यूटोपिया, तीसरी मंजिल, ए विंग, कार्डिनल ग्रेसीयस रोड, चकाला, अंधेरी ईस्ट, मुंबई - 400099 (इसके बाद "VWFPL" के रूप में संदर्भित) जिसकी अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और निर्दिष्टी शामिल हैं, प्रथम भाग का

### तथा

अनुलग्नक I में 'ऋणी' और 'सह-ऋणी' के रूप में निर्दिष्ट व्यक्ति(यों), जिनका कार्यालय/निवास अनुलग्नक I में निर्दिष्ट स्थान पर है [इसके बाद सामूहिक रूप से "ऋणी(यों)" के रूप में संदर्भित, जिनकी अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के लिए प्रतिगामी न हो, शामिल होना समझा जाएगा (i) जहां ऋणी एक व्यक्ति है, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक, (ii) जहां ऋणी एक एकल स्वामित्व वाले हैं, वह व्यक्ति जिसका नाम एकमात्र मालिक के रूप में प्रकट होता है और इसमें उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक शामिल होंगे, (iii) जहां ऋणी भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत एक साझेदारी फर्म है, और कोई भी और प्रत्येक भागीदार, और उनके उत्तरजीवी या साझेदार या समय-समय पर और उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक, (iv) जहां ऋणी एक हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) है, कर्ता और एचयूएफ के वयस्क सदस्यों और उनके उत्तरजीवीयों, निष्पादकों और प्रशासकों में से कोई भी या प्रत्येक व्यक्ति, (v) जहां ऋणी एक कंपनी या सोसायटी या सीमित देयता साझेदारी (LLP), उसके उत्तराधिकारी हैं, (vi) जहां ऋणी एक अनिगमित निकाय, उसके सभी सदस्य और उनके संबंधित उत्तराधिकारी, (vii) जहां ऋणी एक ट्रस्ट, फिलहाल ट्रस्टी तथा ट्रस्ट/ट्रस्टियों के उत्तराधिकारी हैं, द्वितीय भाग का।

### जहाँ-

- क. ऋणी(यों) ने नए या पुराने वाहनों की खरीद के लिए VWFPL से ऋण के लिए अनुरोध किया है जिसमें सभी पुर्जे, सहायक उपकरण, अभिवृद्धि, उपकरण, उपकरणों के अतिरिक्त घटक, कोई भी अतिरिक्त बॉडी बिल्डिंग/संशोधन कार्य, इंजन उन्नयन शामिल हैं जो कि यहाँ अनुलग्नक - I के रूप में निर्दिष्ट है [इसके बाद सामूहिक रूप से "उत्पाद(दों)" के रूप में संदर्भित
- ख. ऋणी(यों) के अनुरोध पर, VWFPL ने उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऋण देने के लिए सहमति व्यक्त की है, जैसा कि इसके बाद प्रकट होने वाले नियमों और शर्तों के अनुलग्नक I ("प्रयोजन") में निर्दिष्ट है।

अब निम्नानुसार पक्षों द्वारा तथा उनके बीच समझौता किया गया है कि-

### 1. ऋण संवितरण

- 1.1 इसमें निहित नियमों और शर्तों के अधीन, ऋणी उधार लेने के लिए सहमत हैं और VWFPL अनुलग्नक I में निर्दिष्ट राशि ऋणी(यों) को उधार देने के लिए सहमत है ("ऋण")। ऋणी(यों) के अनुरोध पर VWFPL द्वारा ऋण का संवितरण (क) या तो ऋणी(यों) को, या (ख) ऐसे निर्माता/डीलर/व्यक्ति(यों) को किया जाएगा जैसा कि अनुलग्नक I में निर्दिष्ट किया गया है। ऋण की राशि को प्री-मंथली इंस्टालमेंट इंटरैस्ट, एडवांस किस्त, डॉक्यूमेंटेशन शुल्क, ऋण प्रसंस्करण शुल्क, इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम (यदि लागू हो), मेटेनेंस पैक चार्ज और

फीस, विस्तारित वारंटी शुल्क तथा शुल्क के लिए सभी प्रारंभिक भुगतानों के बाद ऋणी(यों) को वितरित किया जाएगा। इस प्रकार VWFPL द्वारा निर्माता/डीलर/मालिक/व्यक्ति(यों) को संवितरित/ भुगतान किए गए सभी ऋणों को ऋणी को अनुमन्य तथा प्राप्त ऋण माना जाएगा। यदि VWFPL द्वारा आवश्यक है, तो तो ऋणी VWFPL द्वारा आवश्यक रूप और तरीके से ऋण के संवितरण की पावती को स्वीकार करेगा।

- 1.2 ऋण के संवितरण को VWFPL द्वारा जारी चैक/भुगतान आदेश/प्राधिकरण/डिमांड ड्राफ्ट/रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS)/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर सिस्टम(NEFT)/यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) की तिथि को हुआ समझा जाएगा, न कि उनकी वास्तविक पावती की तारीख को, और अगर क्रेडिट द्वारा किया जाता है, तो जब VWFPL द्वारा क्रेडिट किया जाता है।
- 1.3 ऋणी आगे स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि VWFPL द्वारा स्वीकृत ऋण के निर्माता/डीलर/उत्पाद (विक्रेता) को दिए गए किसी भी वितरण आदेश या निर्देश या पुष्टि और ऋणी को उत्पाद वितरित करने के लिए, जहां VWFPL ने क्रेडिट प्रदान किया है या इस तरह के निर्माता/डीलर/विक्रेता के साथ कुछ अन्य वित्तीय व्यवस्था की है और इस बात के बावजूद भी कि वास्तव में ऐसे निर्माता/डीलर/विक्रेता को कोई पैसा नहीं दिया गया है, ऋण का संवितरण होगा तथा समझा जाएगा और यह समझौता पूरी तरह से ऋणी(यों) पर बाध्यकारी होगा और इस तरह की अवस्था में ऋणी(यों) द्वारा इसका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। ऋणी(यों) के अनुरोध/निर्देश पर और उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति(यों) को किए गए संवितरण उनके लिए बाध्यकारी होंगे।
- 1.4 ऋणी उत्पाद(दों) और/या बीमा की लागत या उत्पाद के पंजीकरण की कीमत में किसी भी वृद्धि को वहन करने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे।
- 1.5 VWFPL निर्माता/डीलर/विक्रेता के साथ उत्पाद(दों) के लिए ऋणी के ऑर्डर (बुकिंग) को रद्द करने या निष्प्रभावी करने तथा बुकिंग मूल्य या किसी अन्य राशि के रिफंड को सीधे निर्माता/डीलर/विक्रेता से एकत्र करने का हकदार होगा (ऐसी किसी भी कटौती के बाद जो निर्माता/डीलर/विक्रेता द्वारा की जा सकती है) और उसे ऐसे किसी भी धन के खिलाफ समायोजित करेगा जो ऋणी द्वारा VWFPL को देय हो और भुगतानयोग्य हो: (i) यदि ऋण के संवितरण की तारीख के 7 दिनों के भीतर (क) निर्माता/डीलर/विक्रेता ऋणी को उत्पाद(दों) को वितरित करने में विफल रहता है, या (ख) ऋणी उत्पाद(दों) की डिलीवरी लेने में विफल रहता है या (ii) यदि ऋणी VWFPL को ऐसे दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहता है जो ऋणी द्वारा ऋण के संवितरण की तारीख के 30 दिनों के भीतर उत्पाद(दों) की खरीद के लिए ऋणी के योगदान का प्रमाण हों या (iii) ऋण के संवितरण की तारीख से 30 दिनों के भीतर उत्पाद किसी भी कारण से उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी कोई भी कमी जो ऋणी(यों) द्वारा तुरंत अच्छी नहीं की जाती है, डिफॉल्ट की घटना के रूप में मानी जाएगी।
- 1.6 ऋणी स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि (क) यह समझौता (ख) स्वीकृति पत्र (ग) ऋण आवेदन पत्र (घ) प्रतिभूति दस्तावेज और ऋणी(यों) द्वारा द्वारा निष्पादित ऋण से संबंधित कोई भी अन्य दस्तावेज (सामूहिक रूप से "लेन-देन दस्तावेज") निम्नलिखित किसी भी घटना में ऋणी(यों) पर पूरी तरह से बाध्यकारी होंगे:
  - i) VWFPL द्वारा इस समझौते को निष्पादित किए जाता है और/या ऋणी द्वारा ऋण (या उसके किसी भाग) के लिए आवेदन किया गया है, जिसे VWFPL द्वारा स्वीकृत/मंजूर/वितरित किया जा रहा है, या
  - ii) VWFPL द्वारा निर्माता/डीलर/विक्रेता को दिए गए निर्देशों/पुष्टि के अनुसार ऋणी(यों) को उत्पाद दिया जा रहा है, VWFPL द्वारा ऋणी को ऐसी मंजूरी/संवितरण के लिए बिना किसी भी विशेष विशिष्ट पुष्टि के बिना।

1.7 ऋण का संवितरण नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा:

- (क) ऋणी को VWFPL ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराएगा, जो अनुलग्नक I में निर्दिष्ट उत्पाद(दों) की खरीद के लिए ऋणी के योगदान के भुगतान का सबूत देता है।
- (ख) ऋणी के पास उत्पाद(दों) के लिए एक पूर्ण, स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक/स्वामित्व होगा और उत्पाद किसी भी दायित्व और पूर्व के आरोपों से बिल्कुल मुक्त होगा।
- (ग) ऐसी कोई भी असाधारण या अन्य परिस्थितियां नहीं हुई होंगी, जो इस समझौते के तहत ऋणी(यों) को अपने दायित्वों को पूरा करना अनुचित बनाएंगी।
- (घ) ऋणी VWFPL की साख आवश्यकता को पूरा करते हैं। इस संबंध में, VWFPL ऐसी प्रकृति की पूछताछ करने या किए जाने का कारण बनने का हकदार होगा जो VWFPL द्वारा ऋणी(यों) की साख के लिए उपयुक्त समझी जाएं। VWFPL आगे ऋणी(यों) से ऐसी साख के लिए प्रमाण के लिए कॉल करने या क्रेडिट एजेंसियों से या ऐसे किसी भी संबंधित तीसरे पक्ष से संपर्क करने के लिए हकदार होगा जो कि ऋणी की साख को साबित करने के लिए आवश्यक समझी जाती हों।
- (ङ) अनुच्छेद 7 में परिभाषित के रूप में डिफॉल्ट की कोई घटना और समय या नोटिस के कालातीत होने तथा कथित अनुच्छेद में यथा निर्दिष्ट समय के कालातीत होने की कोई भी घटना डिफॉल्ट की घटना नहीं बनेगी।
- (च) ऋणी ऋण की मूल राशि के लिए VWFPL की संतुष्टि तक सभी ब्याज, द्रवीकृत हर्जाने, लागत, शुल्क और व्यय और अन्य सभी धनराशि, जो भी देय हो और ऋणी द्वारा VWFPL को देय किसी भी देयता के लिए ऋण द्वारा खरीदे गए/अधिग्रहीत किए गए या खरीदे जाने वाले/अधिग्रहित किए जाने वाले उत्पाद(उत्पादों) पर बंधन (हाइपोथीकेशन) के माध्यम से पहला और अनन्य प्रभार करके, चाहे वह अब कब्जे में हो या जो ऋणी के कब्जे में आएगा, प्रतिभूति देगा।

## 2. भुगतान, पूर्व भुगतान, ब्याज और अन्य शुल्क

2.1 ऋणी ऋण पर ऐसी दर पर तथा तिथि को ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसा अनुलग्नक I में निर्दिष्ट है। ऋण पर ब्याज और अन्य शुल्कों की गणना दैनिक आधार पर मासिक बकाया मूल राशि पर की जाएगी। ब्याज की गणना साल में 360 दिन और वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर की जाएगी। ऋण पर ब्याज ऋणी या उसके बैंक द्वारा ट्रांजिशन, संग्रहण, चैक प्राप्ति में लिए गए समय चाहे जो भी हो, के बावजूद ऋण संवितरण/जारी करने की तिथि से शुरू हो जाएगा। ऋणी द्वारा देय ब्याज दर भारतीय रिज़र्व बैंक ("RBI") द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों/निर्देशों के आधार पर या मनी मार्केट में शर्तों के आधार पर, प्रासंगिक समय पर VWFPL के कोष की लागत तथा ऋण योग्य धन की उपलब्धता के आधार पर संशोधन के अधीन होगी।

2.2 ऋणी ऋण को ब्याज सहित VWFPL को इतनी किस्तों में चुकाएगा और इस तरह की इतनी राशियों की किस्तों के साथ और उन देय तिथियों को (समय अनुबंध का सार है) चुकाएगा जैसा कि अनुलग्नक I में दिया गया है, इस तरह की किस्तों को बाद में, व्यक्तिगत रूप से, "किस्त/EMI" के रूप में और सामूहिक रूप से "किस्तों/EMIS" के रूप में संदर्भित किया गया है। मासिक किस्त की राशि को अगले उच्च रुपये के लिए बढ़ाया गया है। यदि देय तिथि उस दिन पड़ती है जो उस स्थान पर कारोबार का दिन नहीं है जहां भुगतान किया जाना

है, तो ऋणी ऐसे भुगतान के लिए नियत तिथि से पहले के कारोबारी दिवस पर किस्त का भुगतान करेगा। VWFPL को ऋणी द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान स्पष्ट तथा किसी भी कर खाते में किसी भी कटौती से मुक्त और स्वतंत्र किए जाएंगे। यदि ऋणी को कोई कटौती करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे मामले में VWFPL को देय राशि यह सुनिश्चित करने की सीमा तक बढ़ाई जाएगी कि कटौती करने के बाद VWFPL उस राशि के बराबर राशि प्राप्त करेगा और अनुरक्षित करेगा (ऐसी कटौती के लिए देयता के बिना) जो किसी कटौती के न होने पर उसे प्राप्त होती।

- 2.3 ऋणी इस बात से सहमत हैं कि VWFPL ऋणी(यों) को सात (7) दिनों की पूर्व लिखित सूचना देकर संवितरण राशि/ संवितरण तिथि/ ब्याज दर/ ईएमआई राशि/ ईएमआई समयसारणी/ पूर्वभुगतान प्रभार/ सेवा शुल्क में होने वाले किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित करेगा। इस तरह का नोटिस ऋणी(यों) को दो भाषाओं, अर्थात् अंग्रेजी और दूसरी ऐसी स्थानीय भाषा में भेजा जाएगा जो ऋणी(यों) को समझ में आती हो और इस तरह के किसी भी बदलाव को उसी दिन से प्रभावित किया जाएगा जिस दिन से ऐसी जानकारी ऋणी(यों) को बताई जाती है।
- 2.4 यदि ऋणी संबंधित देय तिथि(तिथियों) पर VWFPL को भुगतान/किसी किस्त के पुर्नभुगतान/या देय अन्य राशि के भुगतान में डिफॉल्ट कर जाते हैं तो ऋणी अनुलग्नक I में नियत दर पर ऐसी बकाया राशि पर प्रासंगिक देय तिथि से भुगतान तिथि/प्राप्ति की तिथि तक अतिरिक्त ब्याज/डिफॉल्ट ब्याज तथा अन्य विविध शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस तरह के अतिरिक्त ब्याज/डिफॉल्ट ब्याज और विविध शुल्क इस समझौते की शर्तों के अनुसार VWFPL को भुगतान करने के लिए ऋणी द्वारा देय राशि के अलावा होंगे।
- 2.5 ऋणी VWFPL को भुगतान/किस्तों का भुगतान निम्नलिखित में से किसी एक माध्यम से करेंगे: (i) पोस्ट-डेटेड चेक द्वारा ("पीडीसी विधि") (ii) इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (डेबिट क्लियरिंग) द्वारा जैसा कि RBI द्वारा अधिसूचित किया गया है ("ECS विधि") (iii) राशि को नकद भुगतान द्वारा या "फॉक्सवैगन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड" के नाम से जारी चेक/ड्राफ्ट द्वारा सीधे ("डायरेक्ट पेमेंट विधि") या (iv) NACH या (v) किसी अन्य विधि से भुगतान करके, बशर्ते यह VWFPL द्वारा अनुमोदित हो। भुगतान के लिए विधि का चयन ऋणी द्वारा अनुलग्नक I में से किया जाएगा। इस तरह के चयन/अधिदेश को ऋणी द्वारा VWFPL की पूर्व लिखित सहमति के बिना परिवर्तित/रद्द/निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता है। ऋणी पोस्ट डेटेड चेक/ECS/NACH अधिदेश को रद्द करने या भुगतान रोकने के लिए निर्देश जारी करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि ऋणी पर ऋण या उसका कोई भाग बकाया है। इस समझौते या लेन-देन दस्तावेजों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, और ऋणी द्वारा चुने गए भुगतान मोड के बावजूद, ऋणी द्वारा भुगतान में किसी भी डिफॉल्ट या VWFPL द्वारा देय तिथि पर किस्त(किस्तों) के भुगतान की प्राप्ति नहीं होने पर VWFPL ऋणी द्वारा VWFPL के पक्ष में जारी पोस्ट-डेटेड चेक या ECS या NACH को प्रस्तुत करने और/या फिर से प्रस्तुत करने का हकदार होगा।
- 2.6 VWFPL (या इसके नामिती) को ऋणी(यों) द्वारा अनुलग्नक I में वर्णित भुगतान की गयी अग्रिम किस्तों की संख्या को ऋण के संवितरण से पहले (या VWFPL द्वारा निर्णय किए गए किसी अन्य समय पर) अंतिम किस्तों (या समान संख्या) या VWFPL द्वारा किसी अन्य तरीके से समायोजित किया जाएगा। ऋणी इस तरह की अग्रिम किस्तों की राशि पर किसी भी ब्याज के हकदार नहीं होंगे।

- 2.7 ऋणी VWFPL के कब्जे में किसी भी अप्रयुक्त चेकों के लिए ऋण बंद होने के 30 दिनों के भीतर दावा करेंगे जिसमें विफल होने पर VWFPL अपने कब्जे में पड़े किसी भी लावारिस/अवितरित चेक को नष्ट करने का हकदार होगा।
- 2.8 ऋणी VWFPL को उसकी ओर से बिना कोई नोटिस दिए इसके अधिकारियों, अधिकृत एजेंटों के माध्यम से कार्य करके VWFPL को दिए गए चेकों में ऐसी राशि के लिए आवश्यक विवरण भरने के लिए बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है जो ऋणी द्वारा इस समझौता के नियम एवं शर्तों के तहत VWFPL को देय अधिकतम राशि से अधिक न हो। ऋणी इस बात की पुष्टि करते हैं और सहमत होते हैं कि VWFPL अपने विवेकाधिकार से ऋण के पुनर्भुगतान/निपटान के लिए एक या अधिक ऐसे चेकों या ECS या NACH का उपयोग करने का हकदार है। इस प्रयोजन के लिए, इस समझौते के अनुसार ऋणी द्वारा जारी किए गए चेक या ECS या NACH के समाप्त हो जाने की स्थिति में, ऋणी VWFPL को नए चेक जारी करने के लिए जिम्मेदारी लेता है।
- 2.9 ऋणी हर वक्त अपने बैंक खाते/खातों में पर्याप्त धनराशि बनाए रखेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋणी द्वारा जारी ECS, पोस्ट-डेटेड चेक, या NACH, यदि कोई हो, बिना भुगतान के वापस न हो जाए और VWFPL द्वारा किस्तें देय तिथि से पहले प्राप्त हो जाती हैं।
- 2.10 ऋणी द्वारा चयनित पुनर्भुगतान/भुगतान के तरीके के बावजूद, ऋणी ऋण के संबंध में सभी किस्तों तथा अन्य सभी धनों के VWFPL को VWFPL द्वारा किसी भी संबंधित सूचना/जानकारी के बिना प्रासंगिक देय तिथि को या उससे पहले भुगतान/अदायगी सुनिश्चित करने के लिए हर समय उत्तरदायी और जिम्मेदार बने रहेंगे और ऋणी द्वारा VWFPL को इस तरह के भुगतान की जाने वाली सभी राशियों का भुगतान VWFPL को ऐसी जगह पर किया जाएगा जो VWFPL निर्दिष्ट करे, बिना किसी भी कटौती के जो भी हो, ताकि VWFPL संबंधित देय तिथि(तिथियों) या उससे पहले की राशियों को पूरी तरह से प्राप्त करने में सक्षम हो सके। किसी भी विधि द्वारा भुगतान के लिए क्रेडिट केवल भुगतान की प्राप्ति पर ही दिया जाएगा। VWFPL द्वारा ऐसे किसी भी भुगतान की स्वीकृति जो कि पूरी किस्त या उस समय देय अन्य राशियों से कम है, ऐसे समय पर या किसी भी समय पर पूर्ण भुगतान प्राप्त करने के लिए VWFPL के अधिकार की छूट नहीं बनेगी या इस समझौते के तहत VWFPL के अधिकार में कोई अन्य छूट नहीं बनेगी।
- 2.11 ऋणी ऐसे प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता में परिवर्तन के लिए VWFPL की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त करेगा, जिन्होंने चेक/ECS/NACH पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन्हें इस ऋण के संवितरण के समय VWFPL को प्रस्तुत किया गया है। VWFPL भुगतान करने के लिए VWFPL को किसी अन्य बैंक में भुगतान वाले (VWFPL द्वारा अनुमोदित) बैकल्पिक पोस्ट-डेटेड चेक/ECS/NACH के साथ VWFPL को जारी किए गए पोस्ट-डेटेड चेक/ECS/NACH को अदला-बदली करने/बदलने के लिए ऋणी(यों) को अनुमति दे सकता है जो अनुलग्नक I में निर्दिष्ट "चेक/ ECS/NACH स्वैप" शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। ऐसी दशा में, ऋणी पोस्ट-डेटेड चेकों और/या ECS या NACH अधिदेश, समझौतों और/या अन्य दस्तावेजों को जिनको किस्तों के भुगतान के लिए निष्पादित किया गया है तुरंत बदलेंगे और VWFPL की संतुष्टि तक इनके बदले में पोस्ट-डेटेड चेक, ECS या NACH अधिदेश जारी करेंगे।

- 2.12 ऋणी इस बात से सहमत हैं कि VWFPL डिलीवरी के समय या उससे पहले उत्पाद के किसी भी दोष, डिलीवरी में देरी या डिलीवरी न होने या इसके खोने, चोरी होने, जब्ती होने, दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, या उत्पाद के किसी भी दोष, क्षति या गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। किस्तों का भुगतान अनुलग्नक I में समयतालिका के अनुसार शुरू होगा और जारी रहेगा और ऋणी किसी भी गैर-वितरण/विलंबित-वितरण, उत्पाद में दोष, और उत्पाद के संबंध में किसी भी पक्ष के बीच किसी विवाद/अंतर के बावजूद किसी भी किस्त या अन्य राशि के भुगतान को रोकने या देरी करने का हकदार नहीं होगा।
- 2.13 ऋणी ऋण या किस्तों या ऋणी के देय का (इसके बाद परिभाषित) VWFPL की लिखित स्वीकृति के अधीन और ऐसे नियम और शर्तों के अनुसार जिन्हें VWFPL द्वारा निर्धारित किया जा सकता है नियत तिथि से पहले पूर्ण या आंशिक पूर्वभुगतान कर सकते हैं जिसमें न्यूनतम पूर्व भुगतान राशि, पूर्व भुगतान प्रीमियम, या रियायती ब्याज, और/या कोई अन्य शुल्क शामिल हैं, हालांकि, ऋणी ऋण या किस्तों के आंशिक या पूर्व भुगतान के लिए साल में केवल दो बार हकदार होंगे। VWFPL द्वारा इस तरह के किसी भी आंशिक पूर्व भुगतान के अनुमोदन तथा अनुमति की दशा में, VWFPL अनुलग्नक I में वर्णित चुकौती कार्यक्रम तथा/किस्तों की राशि में संशोधन करेगा और उसके बाद ऋणी भुगतान के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार भुगतान करेगा। इस तरह का कोई भी पूर्व भुगतान नकदी प्राप्त हो जाने के बाद या VWFPL द्वारा चैक/डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी/NACH फंड ट्रांसफर द्वारा प्राप्ति के बाद ही प्रभावी होगा और पुनर्भुगतान कार्यक्रम अगले महीने की ईएमआई देय तिथि के बाद ही लागू होगा।
- 2.14 ऋणी इससे सहमत हैं, घोषणा करते हैं, और पुष्टि करते हैं कि अनुबंध अधिनियम, 1872 के किसी भी प्रावधानों या किसी भी अन्य कानून या समझौता में निहित किसी भी नियम या शर्तों और किसी भी लेनदेन दस्तावेजों के बावजूद, VWFPL द्वारा प्रतिभूति को प्रभावी करने के परिणामस्वरूप या अन्यथा ऋणी से प्राप्त कोई भी राशि, जब तक कि अन्यथा लिखित रूप में VWFPL द्वारा मानी न गयी हो, यथोचित की जाएगी (i) पहले VWFPL के प्रति लागतों, शुल्कों, खर्चों और अन्य धनों के प्रति (ii) दूसरे, देय ब्याज और और/या VWFPL को उपचयगत देय के प्रति (iii) इस समझौता के तहत VWFPL को देय और देय होने वाले मूल धन की किसी भी किस्त(तों) की राशि के पुनर्भुगतान के प्रति और (iv) अंत में, ऋणी तथा VWFPL के बीच किसी अन्य समझौते के तहत देय राशि के प्रति।
- 2.15 ऐसी स्थिति में जहां ऋणी निर्धारित समय पर या उससे पहले लागू किस्त/ईएमआई का भुगतान करने में डिफॉल्ट करता है, VWFPL के पास लागू जीएसटी या उसके बाद लगाए गए किसी भी अन्य कर के साथ नीचे उल्लेखित शुल्क ऋणी पर लगाने का अधिकार सुरक्षित है - दंड ब्याज - देरी से भुगतान का शुल्क - चेक बाउंस होने का शुल्क - जुर्माना। उपरोक्त शुल्क ऋणी द्वारा तत्काल आधार पर देय होंगे। लागू दंड ब्याज .....% वार्षिक दर ऋणी द्वारा किस्त/ईएमआई और/या उपरोक्त उल्लिखित शुल्कों (लागू करों के साथ) का भुगतान करने में देरी के लिए जब तक देय होगा जब तक कि उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

### 3. कर/शुल्क/प्रभार

- 3.1 ऋणी ऐसे किसी ब्याज कर, सेवा कर, माल और सेवा कर ("जीएसटी"), शुल्क (अनुलग्नक I में निर्धारित एकवारीय अग्रिम प्रोसेसिंग शुल्क सहित), प्रभार, आयात शुल्कों (स्टाम्प ड्यूटी और प्रासंगिक पंजीकरण और किसी भी विवरण के शुल्क और करों को दाखिल करने के शुल्कों सहित) जो कि सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लगाए जा सकते हैं और अन्य सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों को, जो भी हो (VWFPL

द्वारा खर्च किसी भी लागत और व्ययों सहित लेकिन इन तक सीमित नहीं) को वहन करेंगे तथा उनका भुगतान करेंगे (क) ऋण आवेदन, ऋण के अनुदान और उसके भुगतान के संबंध में, प्री-पेमेंट/चेक स्वैपिंग शुल्क, या उत्पाद के संबंध में कोई अन्य निर्धारित शुल्क (ख) यह समझौता और/या कोई भी लेन-देन दस्तावेज (ग) ऋणी के देय की वसूली और प्राप्ति (घ) प्रतिभूति का सृजन, प्रवर्तन और प्राप्ति [जिसमें उत्पाद पर कब्जा करना, उसे बनाए रखना, भंडारण करना और बेचना/ स्थानांतरण/ नकदीकरण शामिल है] (ङ) उत्पाद की मरम्मत और सभी करों और किसी भी अन्य देय तथा सरकार द्वारा उत्पाद के संबंध में लागू अन्य शुल्कों के बकाया का निपटान (च) उत्पाद का निरीक्षण और मूल्यांकन (छ) उत्पादों का बीमा करने, पार्किंग शुल्क, किराया, गोदाम या उत्पादों को सुरक्षित रखने के प्रभार और (ज) उपरोक्त में किसी भी प्रयोजन के लिए VWFPL के वकील का शुल्क और खर्च। ऋणी VWFPL को किसी भी प्रकार या प्रकृति के नुकसान, क्षति, लागत, शुल्क, दावे, खर्च और देयता सहित सभी के लिए, जिसमें स्टॉप शुल्क, अन्य शुल्क, कर शामिल हैं, पर इन तक ही सीमित नहीं है, का भुगतान/प्रतिपूर्ति करेगा, इस समझौते और प्रतिभूति के संबंध में, कानून या इसकी व्याख्या या प्रशासन में किसी भी बदलाव के कारण VWFPL को आने वाले किसी भी लागत में बढ़ोत्तरी, यदि कोई है, ऋणी(यों) द्वारा बनाए गए, निरंतर रखे गए, या घटित उपरोक्त मामलों में से किसी के संबंध में VWFPL द्वारा और जब लागू हो, तो उस समय के लिए कानूनों के अनुसार भुगतान किया जाना आवश्यक है।

- 3.2 ऋणी द्वारा उपरोक्त उल्लिखित धनराशि का भुगतान करने में विफल रहने की दशा में, VWFPL को इसका भुगतान करने के लिए स्वतंत्रता होगी (लेकिन बाध्य नहीं किया जाएगा)। VWFPL द्वारा भुगतान की गयी ऐसी सभी रकमों की प्रतिपूर्ति अनुलग्नक I में निर्धारित डिफॉल्ट ब्याज के साथ ऋणी VWFPL को करेगा। ऋणी VWFPL द्वारा (या प्रतिनिधि/सलाहकार/मूल्यांकनकर्ता द्वारा या उनकी ओर से) ऋण के संबंध में वहन की गयी सभी रकमों का भुगतान VWFPL के मांग नोटिस की तारीख से 7 दिनों के भीतर करेगा करेगा। इस तरह के सभी रकमों में भुगतान की तारीख से लेकर प्रतिपूर्ति तक अनुलग्नक I में निर्दिष्ट ब्याज की दर पर ब्याज भी प्रतिपूर्ति में शामिल होगा।
- 3.3. माल और सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के कारण, शुल्क के संबंध में अग्रिम के रूप में प्राप्त किसी भी राशि पर लागू दर पर कर (यानी, IGST या SGST और CGST) को लगाया जाएगा तथा वसूला जाएगा जिसमें प्रसंस्करण शुल्क, रद्दीकरण शुल्क आदि शामिल हैं लेकिन इन तक ही सीमित नहीं है। यदि ऋणी किसी भी कारण से भुगतान करने से इंकार करता है या विफल रहता है तो VWFPL के पास लागू ब्याज की दर के साथ ही वसूली का अधिकार सुरक्षित है। ऐसी स्थिति के मामले में जहां ऋणी ने प्रसंस्करण शुल्क, रद्दीकरण शुल्क, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं है, के संबंध में शुल्कों से संबंधित अग्रिम का भुगतान किया है और समझौता अब मौजूद नहीं है या ऋणी ने भविष्य में किसी भी कारण से 'सुविधा' का लाभ उठाने से मना कर दिया गया है, तो VWFPL के पास अग्रिम की प्राप्ति के समय एकत्रित कर (यानी, IGST या SGST और CGST) की राशि वापस न करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 3.4 **माल और सेवा कर (जीएसटी) अनुपालन उपधारा:** ऋणी जो एक पंजीकृत व्यक्ति है और जिसके पास GST कानून के तहत एक वैध GSTIN/UID है, वह VWFPL को GST कानून के तहत किसी अनुपालन को पूरा करने के क्रम में किए जाने वाले किसी भी परिवर्तन/संशोधन के बारे में सूचित करने के लिए कानून के अधीन है, लेकिन VWFPL के बीच पारस्परिक रूप से निर्धारित समय पर उचित समय के भीतर उसे दी गई आपूर्ति तक सीमित नहीं और ऋणी को जीएसटी कानून के अनुपालन के लिए VWFPL को सक्षम करने के लिए। VWFPL

के पास GST कानून का अनुपालन न करने के कारण अनुबंध को रद्द करने या समाप्त करने या निराकरण करने में VWFPL द्वारा वहन राशि को वसूल करने का अधिकार सुरक्षित है।

3.5 **कर संग्रहण उपधारा:** VWFPL के पास ऐसी राशि, जो ऋणी को दी गई आपूर्ति के मूल्य पर समय-समय पर लागू प्रतिशत हो, यदि सरकार द्वारा इसे GST कानून में निर्धारित किया गया है, को एकत्र करने का अधिकार सुरक्षित है।

#### 4. **प्रतिभूति**

4.1 VWFPL द्वारा ऋणी को ऋण देने के लिए सहमति/अनुमति को ध्यान में रखते हुए, ऋणी एतद्वारा प्रथम और विशेष प्रभार के माध्यम से VWFPL के पक्ष में संबंधित ऋण से खरीदे गए/अधिग्रहित किए गए या खरीदे/अधिग्रहित किए जाने वाले उत्पाद(दों) को VWFPL के पक्ष में, चाहे वह अब कब्जे में है या जो ऋणी के कब्जे में आएगा और जैसा कि अनुलग्नक I में सामान्य शर्तों के रूप में वर्णित है (इसके बाद "बंधक आस्ति" के रूप में संदर्भित) प्रतिभूति के रूप में बंधक रखते हैं। बंधक आस्तियों में किसी भी परिवर्धन, सुधार, या संलग्नक, चाहे वह ऋणी द्वारा किए गए हैं या अन्यथा तथा चाहे वह ऋणी की लागत से किए गए हों या अन्यथा और चाहे वह VWFPL के अनुमोदन से किए गए हों या अन्यथा, उनको बंधक आस्तियों के भाग के रूप में समझा जाएगा और वे इस समझौते के नियम एवं शर्तों के उसी तरह से संपूर्णता में अधीन होंगे जैसे कि इस तरह के जोड़/सुधार या युग्मन से पहले बंधक आस्तियां होतीं।

4.2 इस प्रकार बंधन से तैयार प्रतिभूति को इस समझौते पर हस्ताक्षर करने या ऋणी को उत्पाद की डिलीवरी करने के तुरंत बाद हुआ समझा जाएगा, मामले के अनुसार जो भी पहले हो। यदि उत्पाद पहले से ही ऋणी के स्वामित्व में है तो उत्पाद के विवरण को ऋणी द्वारा निष्पादन के साथ दिया जाएगा। उक्त विवरण को इस समझौता का हिस्सा समझा जाएगा।

4.3 उत्पाद पर इस तरह से किए गए बंधन के माध्यम से प्रभार इनके लिए एक प्रतिभूति होगी - (क) देय भुगतान/ऋणी द्वारा ऋण, किस्तों, ईएमआई, सभी लागतों, शुल्कों (पूर्व भुगतान शुल्क, विभिन्न सहमतियों के लिए शुल्क/एनओसी/अनुमोदन/VWFPL द्वारा सूचना के लिए शुल्क सहित), ऋण के संबंध में अन्य व्यय एवं अन्य सभी मुद्राएं, (ख) ऋणी द्वारा सभी प्रसंविदाओं और दायित्वों के लिए नियत पालन, प्रदर्शन, और निर्वहन, (ग) लागतें (अधिवक्ता और ग्राहक के बीच सहित), शुल्क (अनुलग्नक I के नियतानुसार यथा लागू), या जैसा समय-समय पर VWFPL द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, चैक/ECS/NACH स्वैपिंग शुल्क, चैक/ECS/NACH वाउंसिंग शुल्क, पीडीसी विधि/ ECS/NACH विधि के संबंध में प्रभार, लौटाए जाने, निरस्त करने या रद्द करने के लिए मानक निर्देश, व्यय (सलाहकार/ मूल्यांकनकर्ताओं/ निरीक्षक/ मूल्यांकनकर्ता/ लेखा परीक्षक, संग्रह एजेंसी, VWFPL के किसी प्रतिनिधि के पारिश्रमिक/शुल्क या उनको देय खर्च पानी सहित) या VWFPL द्वारा वीमा, अनुरक्षण, संरक्षण (किराए, संपत्ति कर, गोदाम शुल्क/सुरक्षित-रखरखाव शुल्क, रखरखाव, सेवा, व्यय) के संबंध में खर्च धन, प्रतिभूति के देखरेख, प्रवर्तन या प्रतिभूति को प्राप्त करने के संबंध में तथा संबंधित देयों को वसूलने के संबंध में खर्च किए गए अन्य पैसे, (घ) किसी अन्य उत्पादों/सेवाओं के संबंध में देय बकाया, करों, प्रभार/शुल्क पर आगे ब्याज (ङ) सभी ऋणीता चाहे जो भी हो या प्रोमीसरी नोट्स या साधन का भुगतान और निर्वहन, किसी भी समय ऋणी द्वारा स्वीकार किए गए या स्वीकृत किए गए अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से जिसमें VWFPL छूट दे सकता है या सभी ब्याजों, छूटों, कमीशनों, शुल्कों, लागतों (अधिवक्ता और ग्राहकों के बीच सहित) और इनके संबंध में VWFPL द्वारा देय या वहन खर्च, और (च) किसी भी समय ऋणी ऋणता चाहे जो भी हो कर्ज लिए गए, अनुबंधित या उठाए गए (चाहे या नहीं नकद विचार के लिए) के संबंध में, या ऋणी या ऋणी से संबंधित किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी भी साधन से VWFPL के साथ देनदारियां (अंडर गारंटी, क्षतिपूर्ति, स्वीकार्यता, क्रेडिट, हायर परचेज तथा लीजिंग सहित) (इसके बाद सामूहिक रूप से "ऋणी के देय" के रूप में संदर्भित।



- 4.4 ऋणी ऐसी अन्य या दूसरी प्रतिभूतियां तैयार करने का दायित्व लेता है जिनको VWFPL द्वारा ऐसे रूप और तरीके से निर्धारित किया जा सकता है जो VWFPL के लिए संतोषजनक हैं। शब्द उत्पाद में ऐसी अन्य/आगे की प्रतिभूति शामिल होगी और उत्पाद के लिए लागू सभी दायित्व/ प्रसविदाएं/ दायित्व/ अभ्यावेदन और वारंटी इस तरह की अन्य/आगे की प्रतिभूति के लिए लागू होंगे और उत्पाद शब्द का तदनुसार अर्थ लगाया जाए।
- 4.5 ऋणी(यों) द्वारा तैयार प्रभार/बंधन उस समय तक पूरी तरह से प्रभावी होगा जब तक कि इस समझौते की शर्तों के तहत समस्य राशि या ऋणी के देय का ऋणी(यों) द्वारा VWFPL को पूरी तरह से भुगतान या निपटान नहीं कर दिया जाता है और जब तक VWFPL 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी नहीं कर देता है। इसके द्वारा तैयार प्रतिभूति और ऋणी(यों) की देयता/बाध्यता समेटने, या दिवालिएपन, या विलय, समामेलन, पुनर्निर्माण, या प्रबंधन के अधिग्रहण, विघटन या ऋणी(यों) की संपत्ति के विनियोजन से प्रभावित नहीं होगी।
- 4.6 ऋणी किसी भी कारण से बंधक आस्ति को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए भी उत्तरदायी होगा, जिसमें चोरी, मौसम द्वारा क्षति, या गुणवत्ता में गिरावट शामिल हैं। ऋणी बंधक आस्ति का विधिवत उपयोग, संचालन, रखरखाव करेगा और उसे अच्छी मरम्मत और अच्छी कामकाजी स्थिति में स्वयं ऋणी के कब्जे और नियंत्रण में रखेगा और VWFPL की पूर्व लिखित सहमति के बिना बंधक आस्ति के उपयोग, स्थानांतरण या निपटान के लिए व्यक्ति, निकाय या प्राधिकरण के साथ कोई भी समझौता किसी भी स्थिति में नहीं करेगा। जहाँ कहीं भी VWFPL आवश्यक समझे, ऋणी को VWFPL की संतुष्टि के लिए बंधक आस्ति के निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के साथ वार्षिक रखरखाव अनुबंधों की व्यवस्था करनी होगी और इस तरह के रखरखाव अनुबंधों का उस समय तक नवीनीकरण रखना होगा जब तक कोई भी राशि बकाया और VWFPL को देय रहेगी।
- 4.7 यदि समझौते के निर्वाह के दौरान किसी भी समय, VWFPL का विचार होता है कि ऋणी द्वारा प्रदान की गई कोई प्रतिभूति ऋण के उस समय की शेष राशि कवर करने के लिए अपर्याप्त हो गई है, तो VWFPL की सलाह पर ऋणी इस तरह की अन्य अतिरिक्त आस्तियों/प्रतिभूतियों को उपलब्ध कराएगा और/या ऋणी की चल या अचल संपत्तियों का गिरवी बंधन देगा जो इस तरह की कमी को कवर करने के लिए VWFPL को स्वीकार्य हो।
- 4.8 ऋणी को बंधक आस्तियों को ग्रहण अधिकारों, प्रभारों, और ऋणभारों, चाहे जो भी हो, से मुक्त रखना होगा, किए गए VWFPL के पक्ष में बनाए गए/बनाए जाने वाले को छोड़कर और उसके अलावा, और ऋणी कब्जे वाली बंधक आस्ति के किसी भी भाग का किसी भी तरह से बंधन, गिरवी, प्रभारी, ऋणभार, बिक्री, निर्दिष्टी, स्थानांतरण, किराया, पट्टा, या अन्यथा किसी भी तरह से नहीं करेगा और उनकी लागतों, ऐसे सभी कार्यों, चीजों, बैनामों, और दस्तावेजों को इन दावों को बेहतर शीर्षक देने के लिए VWFPL द्वारा आवश्यक आगे और अधिक पूरी तरह से आश्वस्त करने और सामान या उसके किसी भी हिस्से के बंधन के बारे में क्रियांवयन करेगा।
- 4.9. ऋणी बंधक आस्तियों को समय-समय पर सभी जोखिमों, जैसे कि दुर्घटना, आग, वज्रपात, भूकंप, दंगों, नागरिक हंगामों, युद्ध, चोरी, उठाईगिरी, असीमित तीसरे पक्ष के दायित्व, और ऐसे अन्य सभी जोखिमों के खिलाफ पूरी तरह से और व्यापक रूप से बीमित रखेगा जिनको VWFPL द्वारा समय-समय पर पूर्ण बाजार मूल्य की सीमा तक निर्धारित किया जा सकता है। यहां की जाने वाली बीमा पॉलिसी या तो ऋणियों और VWFPL के संयुक्त नामों में होगी या ऋणियों और VWFPL के नामों को ऐसी बीमा पॉलिसी के तहत हानि दाता के रूप में वर्णित किया जाएगा। ऋणी ऐसी पॉलिसियों पर सभी प्रीमियमों का विधिवत और समय-समय पर भुगतान करेगा, जब कभी भी देय हो और मूल प्रीमियम पावतियों को निरीक्षण के लिए VWFPL के समक्ष प्रस्तुत करेगा और

VWFPL के रिकॉर्ड के लिए विधिवत प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करेगा। ऋणी यह सुनिश्चित करेंगे कि बीमा की ऐसी पॉलिसियों को प्रतिभूति के निर्वाह के दौरान जीवित रखा जाए और ऋणी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा जिसके कारण ऐसा बीमा रद्द किया जा सकता है।

- 4.10 बंधक आस्ति को उपरोक्तानुसार बीमित रखने तथा बीमा पॉलिसियों को प्राप्त करने और/या उसके सबूत VWFPL को प्रस्तुत करने में ऋणी के डिफॉल्ट करने पर VWFPL अपने विवेक पर लेकिन, ऐसा करने के लिए किसी भी दायित्व के बिना, बंधक आस्ति का बीमा करा सकता है और/या उसके संबंध में प्रीमियम का भुगतान कर सकता है और ऋणी मांग होने पर VWFPL द्वारा भुगतान की गई सभी राशियों का भुगतान VWFPL को करने का दायित्व स्वीकार करता है, और इस तरह के भुगतान में डिफॉल्ट होने पर VWFPL को ऋणी के VWFPL साथ खातों में से इस तरह की राशि को काट लेने की स्वतंत्रता होगी और इस तरह की राशि उसी दरों पर ब्याज लगेगा जैसा कि अनुलग्नक I में उपलब्ध कराया गया है।
- 4.11 किसी दुर्घटना के कारण बंधक आस्तियों को कोई नुकसान या क्षति होने की स्थिति में, किसी भी बीमा आय पर VWFPL का पहला दावा होगा और प्राप्त होने वाली बीमा आय को VWFPL के एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार पर क्षतिग्रस्त बंधक आस्ति के प्रतिस्थापन या मरम्मत में उपयोग किया जाएगा या यहां दी गयी शर्तों के अनुसार ऋणी के देय के लिए या VWFPL द्वारा सही समझे गए शर्तों के संदर्भ में। इसके अलावा, बंधक आस्ति के किसी भी संपूर्ण नुकसान/क्षति की स्थिति में यदि बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित दावा राशि ऋणी पर कुल बकाया राशि से कम है तो ऋणी तुरंत सभी शेष बकाया राशि का भुगतान करेगा। ऋणी एतद्वारा VWFPL को अपने हितों की रक्षा के लिए ऋणी की ओर से ऋणी के एकमात्र जोखिमों और लागतों पर VWFPL द्वारा सही समझी जाने वाली कार्रवाई करने और कदम उठाने के लिए अखंडनीय रूप से अधिकृत करता है। (i) किसी भी बीमा के तहत या इस तरह के समायोजन, निपटान, समझौते, और किसी भी संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को समायोजित करने, समझौता करने, या संदर्भित करने के लिए और ऐसी मध्यस्थता पर किया गया कोई भी निर्णय मान्य और ऋणी पर बाध्यकारी होगा और (ii) ऐसे बीमा के तहत या उसके द्वारा किए गए किसी भी दावे के तहत देय सभी धनराशि को प्राप्त करने के लिए और उसके बाद एक वैध रसीद देने के लिए और इस तरह की आय को इसकी शर्तों के अनुसार या VWFPL द्वारा सही समझे जाने वाले अन्य तरीकों से ऐसी आय को लागू करने के लिए।
- 4.12 यदि VWFPL बीमा दावों या कार्यवाही के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करने का चयन करता है और/या इस आधार पर कि ऋणी की देयता को प्राप्त करने के लिए दावा या निपटान की एक बड़ी राशि होनी चाहिए थी या ऋणी इस तरह के समायोजन के बाद शेष बकाया राशि के लिए या प्राप्त करने का हकदार होना चाहिए, ऋणी VWFPL के खिलाफ किसी भी दावे को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
- 4.13 जब भी कहा जाए ऋणी बंधक आस्ति को VWFPL, उसके कर्मचारी, प्रतिनिधि या एजेंटों द्वारा निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत करेगा। ऋणी इस बात से भी सहमत हैं कि VWFPL और उसके अधिकृत प्रतिनिधि, नौकर और एजेंट हर समय बंधक आस्ति का निरीक्षण करने के हकदार होंगे और इस प्रयोजन के लिए बिना किसी नोटिस के परिसर, गोदामों में, या गैरेज, जहां बंधक आस्ति पड़े हैं या रखे गए हैं, प्रवेश करने के लिए हकदार होंगे।
- 4.14 ऋणी बंधक आस्ति का इस्तेमाल किसी भी गैरकानूनी और अवैध गतिविधि के लिए स्वयं या अपने सेवकों/एजेंटों के माध्यम से नहीं करेंगे और न ही ऐसा कोई कृत्य, चीज करने की अनुमति देंगे जो ऐसी बीमा पॉलिसी को अवैध कर सकती है।

4.15 यदि आवश्यक हो और VWFPL द्वारा निर्देशित किया गया हो, ऋणी बंधक आस्ति पर एक प्लेट/स्टिकर चिपका देंगे, जो VWFPL के पक्ष में उत्पाद के प्रभार के तथ्य को दर्शाता है, ऐसी प्लेट या स्टिकर को लगातार उस समय तक चिपकाया जाएगा जब तक कि ऋणी के देय का कोई हिस्सा बकाया रहता है।

#### 5. ऋणी(यों) के प्रतिनिधित्व, वारंटियाँ, और प्रसंविदाएँ:

5.1 ऋणी एतद्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं और वारंट करते हैं: (क) आवेदन पत्र में दिए गए/भरे गए सभी विवरण और आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सही हैं, सत्य हैं और सभी मामलों में पूर्ण और अद्यतित हैं और ऐसे किसी महत्वपूर्ण विवरण को छिपाया नहीं गया है जिसका ऋण के अनुदान के निर्णय पर प्रभाव पड़ेगा (ख) इस समझौते और इसके अनुपालन में निष्पादित होने वाले दस्तावेज को निष्पादित करने वाले ऋणी के अधिकारी/कर्मचारी विधिवत रूप से और ठीक से कार्यालय में हैं और इसे निष्पादित करने के लिए अधिकृत हैं, (ग) ऋणी के पास इस समझौते को निष्पादित करने, वितरित करने और निष्पादित करने की पूरी शक्ति, क्षमता और अधिकार हैं और उसने इस समझौते के प्राधिकरण, निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई (कॉर्पोरेट, वैधानिक या अन्यथा) की है, (घ) ऋण को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए गए हैं और हर समय, जब तक VWFPL को देय राशि का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है और ऋणी की पूरी राशि को पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता है, तब तक ऐसी अनुमतियाँ वैध रखी जाएंगी और निर्वाहित की जाएंगी, (ङ) कारोबार को समेटने, दिवालियेपन, विघटन, प्रशासन, पुनर्गठन, या ऋणी के रिसीवर, प्रशासक की नियुक्ति के लिए या इसकी सभी या कुछ आस्तियों या देयता के लिए ऋणी के खिलाफ न तो कोई कॉर्पोरेट कार्रवाई की है और न ही कोई कदम उठाया गया है या कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है या इसकी धमकी दी गई है। (च) इस समझौते की तिथि तक, ऋणी के खिलाफ कोई मुकदमेबाजी, कार्यवाही या विवाद लंबित या इसका कोई जोखिम नहीं है, जो किसी भी संपार्श्विक, ऋणी(ऋणियों), उनके व्यवसाय या संचालन पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, या इस समझौते, समय-समय पर प्रत्येक वचन पत्र, ऋणी द्वारा निष्पादित अन्य सुरक्षा दस्तावेजों के तहत अपने दायित्वों को निभाने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, और (छ) न तो ऋणी और न ही उनके निदेशक/साझीदार/सदस्य, जैसा भी मामला हो, डिफॉल्टर/स्वेच्छाचारी डिफॉल्टर घोषित किया गया है। ऋणी ऐसे किसी व्यक्ति को शामिल नहीं करेंगे जो डिफॉल्टर/स्वेच्छाचारी डिफॉल्टर के रूप में पहचाने जाने वाले निकाय का निदेशक/साझीदार/सदस्य हो। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति को डिफॉल्टर/स्वेच्छाचारी डिफॉल्टर के रूप में पहचाने जाने वाली इकाई का निदेशक/साझीदार/सदस्य पाया जाता है, तो ऋणी ऐसे व्यक्ति को हटाने के लिए शीघ्र और प्रभावी कदम उठाएगा।

5.2 ऋणी एतद्वारा निम्नानुसार भी प्रतिनिधित्व, वारंट और प्रसंविदा करते हैं:

- i) ऋणी उत्पाद की गुणवत्ता, स्थिति, फिटनेस और प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से और अनन्य रूप से जिम्मेदार होंगे और निर्माता/डीलर/विक्रेता से उत्पाद के वितरण/प्राप्ति के लिए भी, जैसा कि मामला हो, और VWFPL उत्पाद के वितरण में देरी (या गैर-वितरण), या किसी भी डिमर्जेंस लागत, या किसी भी दोष, या गुणवत्ता, स्थिति, फिटनेस, प्रदर्शन या उसके संबंध में निर्माता/डीलर/विक्रेता द्वारा दी गई किसी गारंटी या वारंटी में भिन्नता के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा। VWFPL उत्पाद के संबंध में निर्माता/डीलर/विक्रेता या ऐसे निर्माता/डीलर/विक्रेता के किसी भी एजेंट द्वारा किए गए किसी भी अभ्यावेदन या वारंटी के लिए उत्तरदायी या बाध्य नहीं होगा। ऋणी किसी भी उत्पाद के लिए निर्माता या डीलरों/आपूर्तिकर्ताओं के प्राधिकृत यांत्रिकी/सेवा केंद्रों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मरम्मत करने के लिए लिप्त नहीं करेंगे। ऋणी इसकी या उत्पाद की डिलीवरी की तारीख (जो भी बाद में हो) से तीन (3) दिन के भीतर VWFPL को इनवॉइस कॉपी की आपूर्ति करेंगे और ऐसे उत्पाद को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत उपयुक्त पंजीकरण प्राधिकरण के साथ पंजीकृत कराएंगे, VWFPL के पक्ष में समर्थन इस संकेत के साथ कि इस तरह के उत्पाद VWFPL के पक्ष में विशेष रूप

से प्रभारित/बंधक किए गए हैं, और उत्पाद के पंजीकरण की तारीख से तीन (3 दिन) के भीतर VWFPL को पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति जमा करेंगे और किसी भी मामले में उत्पाद की डिलीवरी की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर। ऋणी दायित्व लेते हैं कि उत्पाद का पंजीकरण प्रमाण पत्र "फॉक्सवैगन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड" के नाम से जाना जाएगा, जो निम्नलिखित शब्दों के साथ होगा "उपरोक्त वर्णित उत्पाद ऋण समझौते के तहत फॉक्सवैगन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिल्वर यूटोपिया, तीसरी मंजिल, ए विंग, कार्डिनल ग्रेसीयस रोड, चकाला, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400099 द्वारा धारित और बंधक है"।

- ii) ऋणी VWFPL की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उत्पादों के उपयोग को व्यक्तिगत से वाणिज्यिक या इसके उलट नहीं बदलेंगे। ऋणी उस उत्पाद को उस राज्य या क्षेत्र में जिसमें उत्पाद उत्पाद पंजीकृत है चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से सभी आवश्यक अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करेंगे। जहाँ उत्पाद का पूर्ण विवरण (जैसे कि इंजन नंबर/चेसिस नंबर/सीरियल नंबर/पंजीकरण संख्या आदि) जैसा अनुलग्नक I में निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है) इस समझौते को निष्पादित करने के समय उपलब्ध नहीं है, ऋणी उत्पाद के ऐसे सभी विवरणों को उत्पाद के वितरण या उपयुक्त प्राधिकारी/व्यक्ति से ऐसे विवरणों की प्राप्ति के 3 (तीन) दिनों के भीतर VWFPL को ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जैसा कि VWFPL द्वारा निर्दिष्ट हो।
- iii) जहां किसी भी उत्पाद के खिलाफ मौजूदा ऋण को समय से पूर्व बंद करने के लिए किसी भी सुविधा का लाभ उठाया गया है, तो ऋणी संवितरण से 3 दिनों के भीतर प्रथम प्रभार को पंजीकरण प्रमाणपत्र और पंजीकरण रिकॉर्ड से हटवाएंगे और उत्पाद को ऐसे पंजीकरण प्राधिकरण के साथ फिर से पंजीकृत कराएंगे। इसके अलावा, पंजीकरण प्रमाणपत्र में खंड 5.2 (i) में उल्लिखित के रूप में समर्थन किया जाना चाहिए और इसकी अन्य शर्तें उत्परिवर्तनीय लागू होंगी।
- iv) ऋणी, ऋणी के व्यवसाय, कारोबार और संचालन के साथ-साथ उत्पाद और इसके उपयोग और उपयोग करने वालों के लिए लागू सभी कानूनों, नियमों, और विनियमों (सांविधिक या अन्यथा) का पालन करेगा और उत्पाद के भंडारण, उपयोग और संचालन के लिए सभी आवश्यक बीमा, लाइसेंस, पंजीकरण, अनुमति, अनुमोदन, और सहमति को प्राप्त करेगा और हर समय प्रभावी बनाए रखेगा। उन मामलों में जहां उत्पाद का आयात किया जाना है, ऋणी को सभी आवश्यक आयात लाइसेंस और अंतिम बोली, पात्रता, दायरे, और ओपन जनरल लाइसेंस के तहत उत्पाद के आयात की वैधता के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी होगी और समय-समय पर आयात नीति, पात्रता मानदंड और उत्पाद के आयात को प्रभावित करने वाले आयात के दायरे होने वाले सभी परिवर्तनों के बारे में VWFPL को तुरंत सूचित करना होगा।

5.3 ऋणी इस बात से सहमत हैं VWFPL के पास ये अधिकार सुरक्षित हैं: (i) यदि खातों को VWFPL के क्रेडिट मानदंडों के अनुसार अच्छी तरह से बनाए रखा गया है, तो उनको कुछ सुविधाओं, सदस्यता और ऐसे शुल्क और इस तरह के नियम और शर्तों पर जो ठीक लगे, कोई पेशकश करने का (ii) किसी भी समय ऋणी को पूर्व सूचना के बिना और VWFPL को बिना किसी देयता के शुल्क को माफ करने या कम करने और ऐसे लाभ को वापस लेने का। इस समझौते के उल्लंघन के कारण ऋण की कोई भी समाप्ति इस तरह की सुविधाओं की सदस्यता और सेवाओं की समाप्ति के परिणामस्वरूप होगी।

5.4 ऋण के पुनर्भुगतान और निर्वहन के लिए ऋणी का दायित्व, ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक ऋणी ने संयुक्त रूप से ऋण के लिए आवेदन किया है, संयुक्त होगा और कई और सह-व्यापक चाहे या नहीं उत्पाद को संयुक्त रूप से सभी ऋणी के नाम से पंजीकृत किया गया है। जहां ऋणी एक एकल स्वामित्व वाली फर्म के रूप में एक

व्यक्तिगत व्यवसाय कर रहा है, ऋणी पूर्वोक्त फर्म की देनदारियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और VWFPL को ऋण के संबंध में सभी राशियों का पुर्नभुगतान/भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

5.5 प्रत्येक अभ्यावेदन, घोषणाएं, वारंटियां और पुष्टियां जो यहाँ दी गई हैं या अन्यथा उनके द्वारा की गई हैं, इस समझौते की तारीख को सही, सत्य, वैध और हर लिहाज़ से सही हैं, और ऐसा समझौते के कार्यकाल के दौरान भी जारी रहेगा, और इस समझौते के निष्पादन और वितरण, और ऋणी(यों) के बकाए की चुकौती/भुगतान/निर्वहन से बचेगा।

## 6. सकारात्मक/नकारात्मक प्रसंविदाएं:

6.1 VWFPL के साथ ऋणी की प्रसंविदाएं निम्न प्रकार हैं-

6.1.1 संपूर्ण ऋण का उपयोग उद्देश्य के लिए करना और किसी के लिए नहीं

6.1.2 नियमित रूप से और समय पर भुगतान/पुर्नभुगतान करना और सभी ऋणों, किस्तों, ऋणी के देयों का निपटान करना जिसमें मूल्यांकनकर्ताओं/लेखा परीक्षकों/VWFPL के एजेंटों/प्रतिनिधियों के पारिश्रमिक, लागतें, या बीमा/ निरीक्षण/मूल्यांकन/शर्तों के अनुपालन के लिए सत्यापन के लिए VWFPL द्वारा किए गए धन व्यय, कर तथा उन पर अनुलग्नक I में निर्दिष्ट ब्याज की दर पर ब्याज शामिल हैं जो VWFPL द्वारा भुगतान की तारीख से लेकर VWFPL द्वारा उसकी परिपूर्ति तक है, तब तक वह ऋणी की आस्तियों के प्रभार होगा।

6.1.3 वर्तमान ऋण के लिए, ऋणी:

- क) उसके द्वारा ऋण आवेदन पत्र में दर्शाए गए उत्पादों की खरीद को पूरा करेगा और कर चालान और अन्य खरीद दस्तावेजों को VWFPL के पास जमा करेगा
- ख) ऐसी किसी भी घटना/परिस्थितियों के बारे में VWFPL को लिखित में सूचित करेगा जो उत्पादों की खरीद में देरी कर सकती हैं
- ग) इस समझौते/लेन-देन दस्तावेजों या किसी अन्य उपकरण पर लागू संपूर्ण स्टांप ड्यूटी को वहन करेगा।

6.1.4 निम्न के बारे में VWFPL को तुरंत मौखिक एवं लिखित रूप से सूचित करना:

- i) किसी भी घटना, परिस्थिति या भगवान के कार्य के कारण किसी भी उत्पाद की कोई चोरी या नुकसान
- ii) इस समझौते के तहत VWFPL के अधिकारों पर कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव
- iii) किसी भी अदालत में ऋणी के द्वारा या उसके खिलाफ समेटने, विघटन, दिवालिया होने, प्रशासन, या पुर्नगठन के लिए कोई भी कार्रवाई या उठाया गया कदम या कानूनी कार्यवाही शुरू करना या ऋणी की आस्तियों के लिए किसी रिसीवर, प्रशासक या इसी तरह के किसी अधिकारी की नियुक्ति
- iv) ऋणी, उसकी संपत्ति, या किसी भी उत्पाद या उसके देय का निपटान करने की क्षमता को प्रभावित करने के खिलाफ कोई भी मुकदमेबाजी, मध्यस्थता, शुरू की गयी प्रशासनिक, या अन्य कार्रवाई या उसकी धमकी
- v) किसी भी ऋणी (या उसके किसी साझीदार/ट्रस्टी/निदेशक) और/या सह-ऋणी या अन्य ऋणी की मृत्यु
- vi) कोई परिवर्तन चाहे जो भी (i) ऋणी या उसके व्यवसाय के गठन में (ii) ऋणी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में (iii) ऋणी के रोजगार, व्यवसाय, या पेशे में (iv) किसी भी ऋणी के स्थान/पते, या

उनके कार्यालयों, या निवास या व्यवसाय के स्थान में, या (ख) उस स्थान में जहां उत्पाद को संग्रहीत/पार्क किया गया है

- vii) कृपया ध्यान दें कि ऋणी की ओर से VWFPL के लिए नए पते को अपडेट करने में ऋणी की ओर से विफलता होने पर VWFPL अपने रिकॉर्ड के साथ पते को अपडेट और अंतिम मानेगा और तदनुसार GST को चार्ज करेगा
- viii) ऐसी कोई भी घटना की मौजूदगी/घटित होना जिसके परिणामस्वरूप कोई भी घोषणा, प्रतिनिधित्व, वारंटी, प्रसंविदा, या शर्त या किसी अन्य लेन-देन का कोई दस्तावेज है, जो किसी भी संबंध में असत्य या गलत है

6.1.5 VWFPL को तुरंत उपलब्ध कराना: (क) ऋणी द्वारा अपने सभी लेनदारों (या उनके किसी भी सामान्य वर्ग) को जारी किए गए सभी दस्तावेजों की प्रतियां उसी समय जब वे जारी की जाती हैं (ख) VWFPL द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर समय-समय पर ऋणी(यों) के देय के संबंध में, ऋणी(यों) के व्यवसाय संचालन, संपत्ति आदि के संबंध में इस तरह के विवरण/ सूचना/ खाते/रिकॉर्ड/रिपोर्ट/दस्तावेज, वित्तीय या अन्यथा, जैसा कि VWFPL द्वारा आवश्यक हो सकता है

6.1.6 उत्पादों और ऋणी के व्यवसाय के संबंध में उचित बहीखातों को रखने और उनको बनाए रखने के लिए मूल दस्तावेज तैयार करना जो VWFPL मांग सकता है कि उत्पाद या ऋणी से संबंधित है या नहीं

6.1.7 अपने वर्तमान अस्तित्व/संगठन (कॉर्पोरेट या अन्यथा) को बनाए रखना और सभी लागू कानूनों (विधान, कराधान, पर्यावरण सहित) के अनुसार अपना व्यवसाय करना

6.1.8 ऋणी इस बात से सहमत हैं कि VWFPL ऋणी के एकमात्र जोखिम और लागत पर इस समझौते या लेन-देन के दस्तावेजों में से किसी के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए या बंडल किए गए उत्पाद (इसके बाद परिभाषित) के संबंध में तीसरे पक्ष की एजेंसियों को नियुक्त कर सकता है, यदि ऋणी(यों) द्वारा चुना गया और प्राप्त किया गया हो, जिसमें शामिल है (क) सभी ऋणी के सभी देय का समय पर भुगतान (ख) ऋणी, निर्माता/डीलर/विक्रेता, किसी भी संबंधित तीसरे पक्ष से ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र, आरसी बुक, बिक्री चालान, बीमा पॉलिसियों, पथ कर रसीदों, ECS/NACH/ मैडेन्ट्स, ताजा चेक, पोस्ट डिस्बर्सल डायक्यूमेंट्स (यदि समय पर जमा नहीं किए गए हैं) सहित किसी भी दस्तावेज/रिकॉर्ड का एकत्रीकरण (ग) ऋणी द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी भी या सभी प्रतिभूतियों का प्रवर्तन। ऋणी ऐसी एजेंसियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करने के लिए सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि ऐसी एजेंसियां ऋणी के निवासों या कार्यालयों या पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर किसी अन्य स्थान पर जाने या फोन कॉल करने या अन्यथा संपर्क करने के लिए हकदार होंगी। ऐसी तीसरी एजेंसियों की लागत और शुल्क और उनके द्वारा किए गए आगे के खर्चों को ऋणी द्वारा अकेले वहन और भुगतान किया जाएगा।

6.1.9 ऋणी इस बात से सहमत हैं कि VWFPL या इसके एजेंट ऋण के लिए धन के भुगतान के संबंध में ऋणी को ई-रसीद या ई-संचार जारी कर सकते हैं।

## 6.2 नकारात्मक प्रसंविदाएं

ऋणी एतद्वारा प्रसंविदा करते हैं और सहमत हैं कि जब तक कि समझौते के तहत ऋणी द्वारा सभी देय को VWFPL की पूरी संतुष्टि तक पूरी तरह से भुगतान नहीं कर दिया जाता है, तब तक VWFPL की स्वीकृति के बिना ऋणी:

6.2.1 किसी भी विलय, विघटन, समेकन, पुनर्गठन, व्यवस्था की योजना का दायित्व नहीं लेगा, या अपने लेनदारों, या शेयरधारकों के साथ समझौता नहीं करेगा, या समामेलन या पुनर्निर्माण की किसी भी योजना को प्रभावी या अनुमति नहीं देगा

- 6.2.2 शेयरधारकों को किसी डिविडेंड की घोषणा या प्राधिकृत नहीं करेगा या भुगतान नहीं करेगा जब तक कि (क) उसने ऋण के संबंध में उस तिथि तक समस्त देयों का भुगतान कर दिया जिसको डिविडेंड घोषित करने या भुगतान करने का प्रस्ताव है या भुगतान कर दिया है या उसके लिए कोई संतोषजनक प्रावधान किया है या (ख) यदि डिफॉल्ट की कोई घटना होती है और ऐसे डिविडेंड की घोषणा या भुगतान के फलस्वरूप या इस तरह के वितरण के प्राधिकरण परिणामस्वरूप घट रहा है या घटेगा।
- 6.2.3 बंधक आस्ति की बिक्री, हस्तांतरण नहीं करेगा, पट्टे पर नहीं देगा, या कोई सौदा नहीं करेगा या अन्यथा निपटान नहीं करेगा, या बंधक आस्तियों या उसके किसी भी हिस्से को बदलेगा नहीं
- 6.2.4 VWFPL की पूर्व लिखित सहमति, जो VWFPL द्वारा ऐसी शर्तों पर प्रदान की जा सकती है क्योंकि यह उपयुक्त हो सकती है, के बिना अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को नहीं बदलेगा
- 6.2.5 किसी भी ऋण, ओवरड्राफ्ट या किसी आस्ति की खरीद मूल्य के लिए पुनर्भुगतान हेतु जमानती नहीं बनेगा या इसकी गारंटी देगा।

## 7. डिफॉल्ट की घटनाएँ

- 7.1 निम्न में से किसी एक या अधिक घटनाओं या इसी तरह की घटना होने पर वह " डिफॉल्ट की घटना" होगी-
- 7.1.1 मूलधन या ब्याज या किस्तों या उसके किसी भी हिस्से पर देयताओं या इस समझौते के तहत देय किसी अन्य पैसे के देय तिथि (चाहे बताई गई परिपक्वता पर, या त्वरण द्वारा या अन्यथा) को भुगतान में डिफॉल्ट
- 7.1.2 ऋणी, गारंटर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा डिफॉल्ट (भुगतान डिफॉल्ट के अलावा) किसी भी प्रसंविदा, शर्त, दायित्वों, या इस समझौते के तहत लेनदेन दस्तावेजों के निष्पादन में हुआ है और इस तरह का डिफॉल्ट लिखित में ऋणी को या किसी अन्य व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, VWFPL द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद 7 (सात) दिनों की अवधि तक जारी रहता है (सिवाय जहां VWFPL की राय है कि ऐसा डिफॉल्ट उपाय में अक्षम है या प्रतिभूति आसन्न खतरे में है, जिस स्थिति में किसी भी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी)।
- 7.1.3 ऋणी द्वारा इनमें विफलता (i) बंधक आस्ति को समय-समय पर पूर्ण और बड़े पैमाने पर बीमित करवाते रहना और जब भी देय हो ऐसी पॉलिसियों पर बीमा प्रीमियम का भुगतान करते रहना और (ii) जब भी भुगतान के लिए देय होने पर पथ कर।
- 7.1.4 यह उपलब्ध करने में विफलता - समझौते के उपखंड 4.10 और उपखंड 5.2 (i) के अनुसार VWFPL के पक्ष में बंधन के समर्थन के साथ उत्पाद की बीमा पॉलिसी (ii) समझौते के उपखंड 5.2 (i) में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर VWFPL को चालान और पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC)।
- 7.1.5 VWFPL की लिखित सहमति के बिना, ऋणी द्वारा उत्पाद को बेचना, स्थानांतरित करना, कब्जा छोड़ना, आगे किराए पर देना, प्रभारित करना, ऋणग्रस्त करना, ग्रहणाधिकार बनाना, खतरे में डालना या उत्पादों को बदलाव करना।
- 7.1.6 इस समझौते या किसी अन्य लेनदेन दस्तावेज के तहत किसी भी प्रतिनिधित्व, वारंटी, घोषणा, उपखंड या पुष्टि का उल्लंघन हुआ है और/या ऋणी ने कोई धोखाधड़ी की है/प्रस्तुत करने में विफल रहा है इस समझौते या लेनदेन दस्तावेजों के तहत आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी को दबाया है।
- 7.1.7 ऋणी या गारंटर, यदि कोई हो, के पास है या उनको उचित आशंका है कि ऋणी/गारंटर स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से दिवालियापन या दिवाला कानून के तहत कार्यवाही का शिकार बन जाएंगे, या स्वेच्छा से या अनैच्छिक

रूप से भंग हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं या अगर ऋणी/गारंटर किसी पुनर्गठन, परिसमापन या विघटन या दिवालियापन के लिए किसी कार्रवाई के कारण तकलीफ में आते हैं या बंधक आस्ति या उसके किसी भाग और/या ऋणी की अन्य संपत्ति के लिए कोई रिसीवर या परिसमापक को नियुक्त किया गया है या नियुक्ति करने की अनुमति दी गई है या यदि बंधक आस्ति या ऋणी की अन्य संपत्ति की या उसके किसी भाग की कुर्की की गयी है या ऋणी से किसी भी बकाया की वसूली के लिए प्रमाण पत्र की कार्यवाही की गई है या ऋणी के खिलाफ एक या एक से अधिक निर्णय या फरमान दिए गए हैं।

- 7.1.8 ऋणी(यों) में किसी मृत्यु/विघटन या उनमें से कोई अपने किसी भी व्यवसाय को चलाना बंद करता है या बंद करने की धमकी देता है या इस बात का नोटिस देता है कि उसका ऐसा करने का इरादा है या अपने व्यवसाय या संचालन के लिए आवश्यक ऋणी की संपत्तियों का हिस्सा क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गया है या इस समझौते की तारीख से सामान्य प्रकृति या व्यवसाय, संचालन, प्रबंधन, या स्वामित्व के दायरे में कोई भी परिवर्तन होता है, जो ऋणी पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ऋणी की खराब साख की दर्शाने वाली बाजार रिपोर्ट।
- 7.1.9 बंधक आस्तियों को किसी अधिकारी, प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जब्त कर लिया गया है, कुर्क कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है (या ऐसा करने की मांग की है) या किसी कानूनी या निष्पादन कार्यवाही का विषय बनाया है या बंधक आस्ति खतरे में हैं, चोरी हो गयी हैं, किसी दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, नष्ट हो गयी हैं, किसी भी कारण से अप्राप्य हों या उनको नुकसान हुआ है।
- 7.1.10 बंधक आस्ति के मूल्य का इस हद तक मूल्यह्रास होता है कि VWFPL की राय है कि और प्रतिभूति दी जानी चाहिए और इस तरह की अतिरिक्त प्रतिभूति को लिखित मांग पर नहीं दिया गया है।
- 7.1.11 यदि ऋण के लिए प्रतिभूति, यदि कोई है, जोखिम में है या अप्रभाव हो गयी है या अवैध, अमान्य, अप्राप्य है, या अन्यथा विफल हो गयी है या प्रभाव में होना बंद हो जाती है।
- 7.1.12 ऋणी या किसी भी व्यक्ति (VWFPL सहित) के लिए इस समझौते और/या किसी अन्य लेनदेन दस्तावेज के तहत अपने किसी भी दायित्व को निभाना गैरकानूनी है या गैरकानूनी बन जाता है।
- 7.1.13 ऋणी बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं या उन्होंने ऋणी को देय राशि का भुगतान उसके परिपक्व होने पर या VWFPL द्वारा मांगे जाने पर करने में अपनी असमर्थता को लिखित में स्वीकार किया है।
- 7.1.14 डिफॉल्ट की कोई घटना जिसका वर्णन किया गया है (या कोई भी घटना जो नोटिस देने के साथ, समय की चूक, महत्वपूर्णता के निर्धारण, या किसी अन्य लागू स्थिति की पूर्ति या पूर्वगामी का कोई भी संयोजन डिफॉल्ट की घटना बनती है) ऋणी की किसी भी ऋणग्रस्तता से संबंधित किसी भी समझौते या दस्तावेज के तहत घटित होती है या यदि किसी अन्य वित्तीय संस्थान या बैंक जिसके साथ ऋणी(यों) ने वित्तीय सहायता के लिए समझौते किए हैं अपनी सहायता या उसके किसी भाग को वापस ले लिया है।
- 7.1.15 एक या एक से अधिक घटनाएँ, स्थितियाँ, या परिस्थितियाँ (कानून में किसी परिवर्तन सहित) मौजूद हैं या घटित होती हैं, जो VWFPL की एकमात्र राय में, भुगतान करने/चुकाने की ऋणी की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।
- 7.1.16 ऋणी ऋण के संवितरण के 7 दिनों के भीतर डीलर या निर्माता से उत्पादों की डिलीवरी नहीं लेता है।
- 7.2 ऋणी किसी भी डिफॉल्ट और ऐसी किसी भी घटना के बारे में पता चलने पर तुरंत लिखित रूप में VWFPL को सूचित करेंगे जो डिफॉल्ट की एक घटना बनती है (या नोटिस देने के साथ, समय की चूक, महत्वपूर्णता का निर्धारण या अन्य शर्तों की संतुष्टि बनने की संभावना होगी) और इसका उपाय करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी, यदि कोई हो। इस बारे में VWFPL का निर्णय कि डिफॉल्ट की घटना हुयी है या नहीं, अंतिम और ऋणी(यों) के लिए बाध्यकारी होगा।



## 8. VWFPL के अधिकार और उपाय

8.1 डिफॉल्ट की कोई भी घटना होने पर, जैसा कि पूर्वोक्त है, फिर भी यहां निहित के विपरीत कुछ भी नहीं है, VWFPL अपने अधिकारियों, एजेंटों, या नामितों के माध्यम से अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर निम्नलिखित कोई एक या अधिक करने के हकदार हैं-

- क) घोषित करना कि ऋण उपलब्ध कराना या उसे जारी रखने के लिए VWFPL का दायित्व समाप्त हो गया है और/या
- ख) घोषित करना कि इस समझौते के तहत बकाया ऋण और सभी ब्याज और सभी लागतें, शुल्क, खर्च और अन्य बकाया रकम और ऋण तुरंत रूप से VWFPL को देय हैं, जिसके लिए ऋणी द्वारा तुरंत देय होगा और ऋणी(यों) द्वारा भुगतान योग्य हैं और ऋणी इस समझौते के तहत नोटिस की शर्तों के अनुसार किसी भी प्रकार के अगले नोटिस या अन्य कानूनी औपचारिकताओं के बिना सभी देय राशि का भुगतान करेगा, और/या
- ग) गारंटी, यदि कोई है, लागू करना, और/या
- घ) इसको कानून द्वारा अनुमन्य किसी भी अधिकार, शक्ति, या उपाय को लागू करना, जिसमें सूट, इक्विटी या कानून द्वारा कार्रवाई, या दोनों शामिल हैं, या अन्यथा (रिसीवर की नियुक्ति सहित), चाहे किसी भी प्रसंविदा के विशिष्ट निष्पादन, या इस अनुबंध में निहित नियम एवं शर्तों के लिए या इस समझौते के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए, या इस समझौते में दी गई किसी भी शक्ति या अधिकार के अभ्यास की सहायता में और/या
- ङ) यदि डिफॉल्ट की घटना, जिसमें ऋण या उसका किसी भाग की चुकौती शामिल है, पंद्रह (15) दिनों की अवधि के लिए जारी रहती है, तो VWFPL को इस समझौते और/या लागू होने योग्य अन्य लेन-देन के दस्तावेज के संदर्भ में बनाई गई प्रतिभूति की घोषणा करने का अधिकार होगा, ऋणी को सात (7) दिनों की एक लिखित सूचना देकर, बंधक आस्तियों पर कब्जा करने का चाहे वे कहीं भी पड़ी हों, किसी अदालत के हस्तक्षेप के बिना या किसी भी न्यायिक कार्यवाही के हस्तक्षेप के बिना (इस समझौते और/या अन्य लेन-देन दस्तावेजों में निहित कुछ के बावजूद और इसके बावजूद कि संपूर्ण ऋण या ऋणी के देय को वापस ले लिया गया है), और पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए VWFPL निम्न का हकदार होगा-
  - i) उस परिसर, गैराज या गोदाम में प्रवेश करने के लिए जहां बंधक आस्तियां रखे जा सकते हैं और बंधक आस्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए और VWFPL और/या उसके प्रतिनिधियों के लिए किसी भी देयता के बिना कथित परिसर गैराज या गोदाम से स्थानांतरित कर सकते हैं और उधारकर्ता के जोखिम, लागत और परिणामों पर VWFPL के प्रतिनिधि के साथ इसे गोदाम में रख सकते हैं या पार्क कर सकते हैं। हालाँकि, VWFPL बंधक आस्तियों को कब्जे में लेने के लिए ऋणी(यों) को कोई नोटिस देने के लिए बाध्य नहीं होगा, यदि VWFPL का मानना हो बंधक आस्ति खतरे में है और आगे कोई भी देरी VWFPL के हितों को प्रभावित करेगी
  - ii) बंधक आस्तियों को कब्जे में लेने के फलस्वरूप, जैसा कि पूर्वोक्त है, VWFPL ऋणी को बंधक आस्तियों का निस्तारण करने के अपने मंतव्य के बारे में और उनको समस्त बकाया का भुगतान करने तथा बंधक आस्ति का फिर से कब्जा लेने के लिए आखिरी मौका देते हुए ऋणी(यों) को सूचित करते हुए सात (7) दिनों की पूर्व सूचना देगा। यदि ऋणी इस अंतिम

सूचना का पालन करने में विफल रहता है, तो VWFPL पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए आगे बढ़ सकता है, वैसे ही जैसे ऋणी सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री के रास्ते या निजी अनुबंध द्वारा या अन्यथा बंधक आस्तियों के निपटान के लिए ले सकता है, ऋणी(यों) के जोखिम और लागत पर, ऐसे नियमों और शर्तों पर और ऐसे विचार के लिए जो VWFPL को ठीक लगे और/या ऐसी शर्तों और नियमों पर अपने पास रख सकता है या ऐसे बंधक आस्ति को उपयोग कर सकता है, दूसरों को पट्टे पर दे सकता है या निष्क्रिय रख सकता है, किराए पर दे सकता है जो ऋणी के किसी भी अधिकार से मुक्त होगा ऐसी किसी कार्रवाई या निष्क्रियता के लिए ऋणी के लिए कोई दायित्व नहीं होगा। VWFPL बंधक आस्तियों को किसी भी कारण से किसी तरह के किसी भी नुकसान, क्षति या विकृति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब वे VWFPL के कब्जे में हैं या VWFPL के पास उपरोक्तानुसार उपलब्ध अधिकारों और उपायों को लागू करने या न करने के कारण VWFPL के पास मूल्य में किसी भी नुकसान या कमी के लिए बाध्य या जवाबदेह होने के बिना बिक्री अनुबंध को रद्द करने या उसे बदलने की शक्ति होगी और जो एतद्वारा प्रदत्त शक्ति के लागू करने के द्वारा या ऐसी किसी शक्ति का इस्तेमाल करने पर नुकसान के लिए बाध्य या उत्तरदायी होने के बिना होगी और खरीद की धनराशि के लिए प्रभावी रसीदें और डिस्चार्ज देना और बिक्री को पूरा करने के लिए ऐसे सभी कार्य और चीजें करना जो VWFPL उचित समझें। ऋणी किसी भी बिक्री या VWFPL द्वारा की गई नियमितता पर कोई आपत्ति नहीं जताएंगे और न ही VWFPL किसी भी दलाल या नीलामीकर्ता या VWFPL द्वारा बंधक आस्ति के निपटान के लिए नियोजित अन्य व्यक्ति या निकाय की ओर से किसी भी कार्रवाई या डिफॉल्ट से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे।

8.2 इस समझौते के तहत VWFPL को देय शेष राशि के पूरे भुगतान के बाद VWFPL के हाथ में अधिशेष उपलब्ध होने की स्थिति में VWFPL के लिए यह वैध होगा कि वह ऋणी के किसी भी धन के अधिशेष को बनाए रखे और इसे ऋणी से संबंधित VWFPL के पास फिलहाल मौजूद अन्य धन के साथ मिलाकर किसी भी खाते में या उसके तहत इस्तेमाल करे बशर्ते यह केवल उस राशि तक ही होगा जो ऋणी की ओर से VWFPL को देय हो, चाहे अकेले या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, फर्मों, कंपनी द्वारा ऋण के माध्यम से, रियायती बिलों, गारंटियों, शुल्कों या किसी अन्य ऋण या देयता सहित जिसमें बिल, नोट, क्रेडिट और अन्य दायित्व शामिल हैं, वर्तमान हालांकि तब देय या अन्य मांगें कानूनी या न्यायसंगत नहीं हैं उन पर ब्याज के साथ जो VWFPL का ऋणी(यों) के खिलाफ हो सकता है या जो सेट-ऑफ कानून या म्यूचुअल क्रेडिट के माध्यम से हो सकता है। यदि बंधक आस्ति की बिक्री से या अन्यथा इस समझौते और अन्य लेन-देन के दस्तावेजों के अनुसार प्राप्त की गई राशियाँ VWFPL को बकाया को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं, VWFPL को देय शेष बकाया राशि ऋणी(यों) द्वारा ऐसे तरीके से तुरंत देय होगी जिसके लिए VWFPL अपने विवेकाधीन निर्णय कर सकता है और इस तरह के भुगतान को ऋणी(यों) द्वारा तदनुसार किया जाएगा।

8.3 VWFPL ऋणी के एकमात्र जोखिम और लागत पर एक या अधिक एजेंट/व्यक्ति(यों) को ऋणी की बकाया राशि को एकत्र करने या ऋणी द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी या सभी प्रतिभूतियों का प्रवर्तन करने के लिए, या ऊपर उपखंड 6.1.8 में वर्णित प्रयोजन के लिए, या ऋणी द्वारा चुने गए किसी भी बंडल किए गए उत्पादों (इसके बाद परिभाषित) के संबंध में नियोजित कर सकता है और VWFPL (ऐसे उद्देश्यों के लिए) ऐसे व्यक्ति को ऋणी, प्रतिभूति और/या बंधक आस्ति से संबंधित ऐसी जानकारी, तथ्य और आंकड़े उपलब्ध

करा सकता है जो VWFPL को उचित लगते हैं। VWFPL ऐसे व्यक्ति(यों) को ऐसे सभी कार्य करने और निष्पादित करने के लिए अधिकार प्रदान कर सकता है जिन्हें VWFPL उचित समझता हो।

- 8.4 ऋणी VWFPL के संग्रह एजेंटों/प्रतिनिधियों को उनके निवास स्थान या कार्यालय या पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर किसी अन्य स्थान पर जाने और उन्हें देयों की चुकौती के दायित्वों के संबंध में कॉल करने के लिए अधिकृत करते हैं।
- 8.5 यदि कोई (या अधिक) डिफॉल्ट की घटनाएँ हुई हैं, तो VWFPL ऊपर दिए गए खंडों में उल्लिखित VWFPL के विभिन्न अधिकारों और उपायों के अलावा अपरिवर्तनीय रूप से ऋणी के नियोक्त से संपर्क करने और उसकी आवश्यकता के लिए नियोक्ता द्वारा ऋणी के देय वेतन/मजदूरी से कटौती कराने के लिए और उसे VWFPL के पास जमा कराने के लिए अधिकारिक रूप से हकदार और अधिकृत होगा जब तक कि ऋणी की बकाया राशि VWFPL के लिए पूरी तरह से चुक न जाए। कटौती ऐसी राशियों की होगी, और इस हद तक होगी जैसा कि VWFPL ऋणी के नियोक्ताओं से संवाद (और निर्देश) कर सके। ऋणी इस तरह की कटौती के लिए कोई आपत्ति नहीं करेगा। ऋणी और/या ऋणी के नियोक्त को नियंत्रित करने वाला कोई कानून या अनुबंध किसी भी तरह से VWFPL के ऐसी कटौती और भुगतान की आवश्यकता वाले पूर्वोक्त अधिकार को रोकता या प्रतिबंधित नहीं करता है, बशर्ते यदि इस प्रकार कटौती की गयी राशियां VWFPL के ऋणी पर बकाया को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं, तो VWFPL को देय शेष बची हुई राशि का भुगतान ऋणी द्वारा उस तरह से किया जाएगा जिसके बारे में VWFPL अपने विवेकाधिकार में निर्णय कर सकता है और ऋणी द्वारा भुगतान तदनुसार किया जाएगा।
- 8.6 उपरोक्त पूर्ववर्ती प्रावधानों में निर्दिष्ट VWFPL के विभिन्न अधिकारों के अलावा, VWFPL को ये नियुक्ति करने का भी अधिकार होगा (i) तकनीकी, प्रबंधन या किसी अन्य परामर्श व्यवसाय में लगा व्यक्ति ताकि ऋणी के कार्य और/या उसके परिसरों, कारखानों, संयंत्रों, और इकाइयों सहित निरीक्षण और जांच की जा सके और VWFPL को रिपोर्ट दी जा सके (ii) किसी भी विशिष्ट कार्य को करने के लिए या ऋणी द्वारा अपनायी गयी वित्तीय या लागत लेखा प्रणाली और प्रक्रियाओं, जिनको ऋणी ने काम करने के लिए या समवर्ती या आंतरिक लेखा परीक्षकों के लिए अपनाया है, की जांच करने के लिए या ऋणी का एक विशेष लेखा परीक्षण करने ऑडिट लेखा परीक्षक के रूप में कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट/लागत लेखाकार।
- 8.7 ऋण के किसी भी निलंबन या समाप्ति के बावजूद, इस समझौते और अन्य लेन-देन दस्तावेजों के अनुसार VWFPL के सभी अधिकार और उपाय तब तक जीवित रहेंगे जब तक VWFPL को ऋण या ऋणी का देय पूरी तरह से और ऋणी के देय संपूर्ण निपटान में न प्राप्त हो जाएं।
- 8.8 इसके अलावा और उपरोक्त उल्लेखित के बावजूद, ऋणी सभी कानूनी और अन्य खर्चों के लिए उत्तरदायी होंगे, जो पूर्ववर्ती डिफॉल्ट के कारण VWFPL अधिकारों के इस्तेमाल के परिणामस्वरूप होंगे, जिसमें किसी भी बंधक आस्तियों को कब्जे में लेना और/या ऋणी द्वारा देय राशि की वसूली शामिल है लेकिन इन तक ही सीमित नहीं है।
- 8.9 यदि VWFPL डिफॉल्ट की घटना होने के बाद उत्पाद पर कब्जा कर लेता है या ऋण को वापस ले लेता है और ऋणी VWFPL से ऋणी पर देय का आंशिक भुगतान स्वीकार करने और ऋणी को भविष्य में किस्तों को चुकाने के लिए अनुमति देने का और VWFPL (या इसके प्रतिनिधियों) से उत्पादों को फिर से लेने

अनुरोध करता है तो VWFPL ऐसे अन्य नियमों और शर्तों पर ऐसे अनुरोधों को स्वीकार कर सकता है जिनको VWFPL अपने स्वविवेक में उचित समझता है। VWFPL द्वारा ऋणी के इस तरह के अनुरोध को न मानने के लिए लिया गया कोई भी निर्णय अंतिम और ऋणी पर बाध्यकारी होगा।

- 8.10 यहाँ वर्णित किसी भी उपाय का अनन्य होने का इरादा नहीं है, लेकिन वही कानून में VWFPL के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय के अतिरिक्त होगा। VWFPL के पास अपने वकील के रूप में ऐसे बैंकर या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने के अधिकार सुरक्षित है जिसे वह इस समझौते के तहत अपने अधिकार और उपायों को लागू करने के उद्देश्य से उचित समझता हो।
- 8.11 इसके बावजूद कि ऊपर क्या उल्लेखित है, यदि ऋणी के डिफॉल्ट के कारण उत्पाद का फिर से कब्जा लेने के बाद यदि ऋणी नियत तारीख को उस तिथि के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करता है और देय तिथि को किशतों का भुगतान नियमित रूप से करने के लिए दायित्व लेता है, तो VWFPL ऋणी को उत्पाद वापस लौटा देगा और ऋण को जारी रखेगा, ऐसे मामलों के अलावा जहाँ ऋणी जानबूझकर डिफॉल्ट का अभ्यस्त है।
- 8.12 ऋणी इस अनुबंध और इसके अनुलग्नकों या लेन-देन दस्तावेजों में उल्लिखित सभी शुल्कों का भुगतान करने के लिए सहमत है। ऋणी चेक बाउंसिंग शुल्क, यात्रा शुल्क, फिर से कब्जा लेने का शुल्क, कानूनी शुल्क, पार्किंग शुल्क, बंधक आस्ति के निपटान के लिए किराए पर ली गई एजेंसियों के प्रभार, वेयरहाउस/स्टोरेज शुल्क, नीलामी शुल्क, बंधक आस्ति को बाजार योग्य बनाने के लिए खर्च या इसके संरक्षण (बीमा, कर आदि सहित) के लिए खर्च, या बंधक आस्ति के संबंध में किया गया कोई अन्य खर्च तथा अन्य विविध शुल्कों, या तो ऋणी के डिफॉल्ट के कारण या बंधक आस्ति को कब्जे में लेने के कारण या फिर आस्ति को फिर से कब्जे में लेने के बाद के खर्च सहित VWFPL के अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित सभी लागतों/खर्चों/शुल्कों का भुगतान करने के लिए सहमत हैं।
- 8.13 ऋणी के खिलाफ VWFPL द्वारा मांग की सूचना अंतिम और निर्णायक सबूत होगी कि ऋणी ने डिफॉल्ट किया है और धनराशि और उसके द्वारा दावा की गई राशि ऋणी द्वारा VWFPL को देय हैं और दूसरे ऋणी(यों) को इस आधार पर नोटिस को चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा कि कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है या देय राशि और देय के रूप में उल्लिखित राशि देय नहीं है या किसी अन्य आधार पर नहीं।

## 9. अतिरिक्त उत्पाद

- 9.1 ऋणी(यों) को VWFPL द्वारा ऋण की उपलब्धता और/या बीमा प्रीमियम, विस्तारित वारंटी और अतिरिक्त उत्पादों के लिए रखरखाव पैक [सामूहिक रूप से "बंडलड उत्पाद"] के एकत्रीकरण की सुविधा के बारे में सूचित किया गया है। ऋणी पुष्टि करता है कि वह जानता है ऋण एवं बंडलड उत्पाद अलग से उपलब्ध हैं और ऋणी ऋण के साथ किसी भी बंडलड उत्पाद को लेने के लिए बाध्य नहीं है। बंडलड उत्पादों के स्वतंत्र मूल्यांकन के बाद और बंडलड उत्पाद की लागत में कमी और लाभों को देखते हुए ऋणी ने स्वेच्छा से निम्नलिखित बंडलड उत्पादों का लाभ उठाने का विकल्प चुना है जो अनुलग्नक II से IV तक में निर्धारित नियमों और शर्तों पर हैं।

*[निर्देश: ऋणी को चुने हुए बंडलड उत्पादों के सामने टिक (☑) करना है और अस्वीकृत बंडलड उत्पादों के सामने क्रॉस (☒) का निशान लगाना है। यदि ऋणी किसी भी बंडलड उत्पादों की खरीद नहीं करता है, तो यह उपखंड और अनुलग्नक II, III और IV ऋणी और VWFPL के लिए लागू नहीं होगा।]*

i)  **नवीकरण बीमा प्रीमियम:** ऋणी(यों) ने बीमा योजना और उत्पादों के लिए विभिन्न बीमा कंपनियों द्वारा दी जाने वाली पॉलिसियों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया है। इस तरह के स्वतंत्र मूल्यांकन के बाद, ऋणी(यों) ने इस समझौते में अनुलग्नक-II में निर्धारित नियमों और शर्तों पर उत्पाद की बीमा पॉलिसी के नवीकरण के लिए बीमा प्रीमियम के भुगतान की योजना का लाभ उठाने का विकल्प चुना है। VWFPL इस समझौते के तहत देय ऋण EMI के साथ मासिक किस्तों में बीमा कंपनी को ऋणी द्वारा देय नवीकरण बीमा प्रीमियम की सीमा तक धन संग्रह की सुविधा प्रदान करेगा

ii)  **विस्तारित वारंटी:** VWFPL अनुलग्नक III में उल्लिखित शर्तों पर EMI के साथ सेवा प्रदाता को ऋणी द्वारा देय मासिक किस्तों में विस्तारित वारंटी शुल्क की सीमा तक राशि के संग्रह की सुविधा प्रदान करेगा और इस प्रयोजन के लिए ऋणी अनुलग्नक III में संलग्न प्रपत्र में पत्र को निष्पादित करेगा

iii)  **रखरखाव पैक:** VWFPL अनुलग्नक IV में उल्लिखित शर्तों पर EMI के साथ अपने सेवा केंद्र/रखरखाव सेवा प्रदाता को देय ऋणी द्वारा देय मासिक किस्तों में रखरखाव पैक प्रभार की सीमा तक राशि के संग्रह की सुविधा प्रदान करेगा और इस प्रयोजन के लिए ऋणी अनुलग्नक IV में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकरण पत्र को निष्पादित करेगा।

9.2 ऋणी इस बात को स्वीकार करता है और सहमत है कि यदि वे किसी भी बंडलड उत्पाद को चुनते हैं, तो उनके पास ऋण के कार्यकाल या अवधि (ऋण के किसी पूर्व भुगतान या पुनर्निर्धारण सहित) को बदलने का कोई विकल्प नहीं होगा।

9.3 ऋणी भुगतान करेंगे और VWFPL इस तरह से एकत्र किए गए धन को अनुलग्नक II, III और/या IV में निर्धारित नियमों और शर्तों पर बीमा प्रदाता और/या सेवा केंद्र, जैसा भी मामला हो, को अग्रेषित करेगा।

9.4 VWFPL द्वारा उपलब्ध कराए गए बंडलड उत्पाद केवल ऋणी को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम प्रदान करने की प्रकृति में होंगे और VWFPL की ओर से बीमा कंपनी और/या सेवा केंद्र, जैसा भी मामला हो, सेवा की गुणवत्ता या अन्यथा की गारंटी के रूप में नहीं समझा जाएगा।

9.5 VWFPL की जिम्मेदारी ऋणी द्वारा बीमा प्रदाता और/या सेवा केंद्र को सहमत हुए समय में जमा किए गए धन को अग्रेषित करने की सीमा तक सीमित होगी, जिसको क्रमशः अनुलग्नकों II, III और/या IV में निर्धारित किया गया है, और ऋणी बीमा प्रदाता और/या सेवा केंद्र द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता में किसी भी दोष या कमी के लिए VWFPL के खिलाफ किसी भी राहत का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

9.6 किसी भी किश्त/EMI के भुगतान में चूक के मामले में, VWFPL अपने विवेक पर बंडलड उत्पादों के तहत ऐसी सेवाओं को बंद कर देगा और उसके पास इस तरह के बकाये की वसूली के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। बकाया राशि ऋणी के देय का एक भाग होगी जैसा कि ऊपर वर्णित है।

9.7 VWFPL किसी भी सुविधाओं, सदस्यताओं, सेवाओं, या उनके गैर-प्रदर्शन के निष्पादन में किसी दोष या उल्लंघन के मामले में, चाहे यह VWFPL द्वारा हो या किसी अन्य तृतीय पक्ष द्वारा, किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

## 10. **क्षतिपूर्ति:**

10.1 **सामान्य:** ऋणी, VWFPL के किसी भी अधिकार के पक्षपात के बिना, VWFPL, इसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, सलाहकारों, एजेंसियों, नियुक्तियों, या प्रतिनिधियों को सभी लागतों

(अधिवक्ताओं के शुल्क सहित), खर्चों, दंडों, नुकसानों, मुआवजों, क्षति, सूट, कार्य, कार्यवाही, दावों, दायित्व, इनके कारण किसी भी प्रकृति के परिणामों के प्रति हानिरहित और नुकसान रहित रखेंगे-

क) डिफॉल्ट, बिलंव, भूल-चूक के कृत्य, या इस समझौते या लेन-देन के दस्तावेज या किसी भी प्रतिनिधित्व, वारंटी, प्रसंविदा का उल्लंघन जो गलत, भ्रामक, असत्य या अब ठीक नहीं है

ख) बंधक आस्तियों के संबंध में अपने अधिकारों का प्रवर्तन।

## 10.2 जीएसटी क्षतिपूर्ति:

10.2.1 ऋणी GST कानून द्वारा शासित कर की दर में बदलाव के कारण VWFPL पर उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व के संबंध में VWFPL की रक्षा करने, उसे हानिरहित रखने और क्षतिपूर्ति के लिए सहमत हैं। हालांकि, किसी भी समय GST की दर में कमी के मामले में उसी हिस्से के प्रभार में कमी/रिफंड VWFPL के विवेकाधिकार पर होगा।

10.2.2 साथ ही, ऋणी किसी भी कर (यानि, IGST या SGST एवं CGST) के मामले में VWFPL की रक्षा करने, उसे हानिरहित रखने और क्षतिपूर्ति के लिए सहमत हैं जिनका भुगतान VWFPL द्वारा 'उत्पाद' के लिए या डिफॉल्ट या अन्यथा के मामले में ऋणी से बकाया की वसूली के दौरान 'प्रतिभूति' के लिए किया जाता है।

10.2.3 इसके अलावा, ऋणी किसी भी कर (यानि, IGST या SGST एवं CGST) के मामले में VWFPL की रक्षा करने, उसे हानिरहित रखने और क्षतिपूर्ति के लिए सहमत हैं जिनका भुगतान VWFPL द्वारा इस समझौते के अनुसार रद्दीकरण प्रभार के रूप में लिया जाता है लेकिन इस तक सीमित नहीं है। हालांकि, किसी भी कानून में निहित कुछ भी होने के बावजूद, VWFPL के पास इस समझौते को करते समय वसूले गए करों (यानि, IGST या SGST एवं CGST) से संबंधित राशि को वापस नहीं करने का अधिकार है।

10.2.4 इसमें निहित क्षतिपूर्ति इस समझौते या लेनदेन दस्तावेजों की समाप्ति पर भी जीवित रहेंगी।

## 11. कॉन्स्टीट्यूड अटॉर्नी

11.1 ऋणी एतद्वारा इसके लिए सहमत हैं और VWFPL और उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों को अपने विधिवत रूप से गठित वकील के रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसी भी सभी के लिए नियुक्त करते हैं-

i) किसी भी जगह में प्रवेश करने के लिए जहां कोई भी बंधक आस्ति हो सकती है और उनका निरीक्षण और मूल्य कर सकता है।

ii) ऐसे बैंक के समक्ष पेश होने के लिए या उनके साथ अन्यथा पत्र व्यवहार करने के लिए जिस पर ECS/ NACH में डेबिट्स या चैक तैयार किए गए हैं या आहरित किए गए हैं या बीमा कंपनियों जिनके साथ बंधक आस्ति बीमाकृत हैं। ऐसे बैंकों या बीमा कंपनियों के समक्ष प्रासंगिक फॉर्म, आवेदन पत्र ECS/NACH में डेबिट्स, बीमा पॉलिसियां, बीमा भुगतान रसीदें, या किसी अन्य दस्तावेज या जानकारी के संग्रह के लिए ऋणी का प्रतिनिधित्व करने के लिए या किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए।

iii) यहाँ उल्लिखित उद्देश्यों के लिए निर्माता/डीलर/विक्रेता के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए, उनके साथ पत्र व्यवहार करने के लिए या अन्यथा जिनमें शामिल हैं (क) उपरोक्त उपखंड 1.5 के अनुसार मूल्य के अनुसार मूल्य और अन्य राशियां एकत्र करने के लिए (ख) बिक्री चालान को एकत्र करने के लिए या

(ग) उत्पाद के कब्जे/पुनः कब्जे के लिए। उत्पाद के कब्जे/पुनः कब्जे के लिए और निर्माता/डीलर/विक्रेता की मदद से उत्पाद को बेचने/हस्तांतरण करने/निपटान करने के लिए।

- iv) किसी या कभी बंधक आस्तियों और/या उनसे संबंधित दस्तावेजों को उससे कब्जे में लेने के लिए वे जिसके भी पास हैं जिसमें उनकी विषय वस्तु शामिल है और यदि वे प्रकृति में खतरनाक और खराब हैं तो उसे तुरंत निपटाने के लिए।
- v) ऋणी की ओर से किसी भी बंधक आस्ति को बेचने के लिए, उसका निपटान करने के लिए और सभी तरह से ऋणी के जोखिम के पर और बिक्री की आय को आंशिक या पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए और सभी अनुबंधों, घोषणाओं और साधनों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए उसकी डिलीवरी देने के लिए आवश्यक या समीचीन हो सकते हैं।
- vi) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कर अधिकारी, पुलिस अधिकारियों या किसी अन्य प्राधिकारी या ऐसे किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति के समझ प्रस्तुत होने के लिए जिसको VWFPL आवश्यक समझे (क) बंधक आस्तियों/उत्पादों के हस्तांतरण को प्रभावी करने के लिए (ख) कोई भी जानकारी, या दस्तावेज (पंजीकरण प्रमाणपत्र, पथ कर भुगतान रसीद सहित) एकत्र करने के लिए।
- vii) बंधक आस्ति की वसूली के लिए किसी भी दावे, मुकदमे, याचिका या अन्य कानूनी प्रक्रिया की संस्थापना और उक्त उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक वकालतनामों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और निष्पादन सहित आवश्यक सभी कदम उठाने के लिए और इस तरह के मुकदमे या कार्रवाई का समझौता या निपटान करने के लिए।
- viii) ऐसे सभी कागजातों, पत्राचार, वाउचर, फॉर्म, आवेदन, याचिकाओं, रसीदों, दस्तावेजों, समझौतों, इंडेंट और राइटिंग पर ऋणी के ओर से हस्ताक्षर करने के लिए जिनके लिए ऋणी बाध्य है या जो इन दावों और/या ऋण के लिए करने के लिए बाध्य है और ऋणी की ओर से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिक्री कर अधिकारी, पुलिस अधिकारियों, आश्वस्तों के उप-पंजीयक या किसी भी अन्य संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए और उसके निष्पादन को स्वीकार करने और उसको पंजीकृत करने के लिए।
- ix) आमतौर पर प्रदर्शन करने या निष्पादित करने या ऐसा होने का कारण होने के लिए या सभी कार्यों को निष्पादित करता है और इन मामलों के अंतर्गत आने वाले या बाहर या उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में काम करता है और दस्तावेज प्रस्तुत करता है जैसे कि ऋणी स्वयं प्रदर्शित या निष्पादित कर सकता है।
- x) और समय-समय पर या आमतौर पर ऐसे अन्य व्यक्तियों, निकायों, कंपनियों, संगठनों, या एजेंसियों के रूप में नियुक्त करने के लिए ताकि पूर्वोक्त कई मामलों और चीजों को प्रभावी ढंग से किया जा सके जिनको करने के लिए VWFPL अपने स्थानापन्न या सहायक के रूप में उपयुक्त समझे। उपरोक्त सभी या ऐसे किसी भी कार्य और चीजों को निष्पादित करने और ऐसे स्थानापन्न या विकल्प को खुशी से हटाने और उसके स्थान पर अन्य लोगों को नियुक्त करने के लिए।

11.2 ऋणी इस बात से सहमत हैं कि उपरोक्त शक्तियों का उपयोग ऋणी को बिना किसी पूर्व सूचना के किया जा सकता है और VWFPL द्वारा नियुक्त किसी भी विकल्प की पुष्टि करने के लिए सहमत है जिसको VWFPL पूर्वोक्त शक्तियों के अभ्यास में कानूनन कर सकता है।

11.3 ऋणी VWFPL और इसके अधिकारियों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपरोक्त उल्लेखित शक्तियों को इस्तेमाल करने के उद्देश्य से सभी सहायता देने के लिए भी सहमत है, जिसमें दस्तावेजों का समर्थन करना, कागजात पर हस्ताक्षर करना और ऐसी सभी चीजें करना शामिल हो सकता है जो VWFPL और उसके अधिकारियों को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं ताकि इसके द्वारा प्रदान की गई सभी शक्तियों का प्रयोग किया जा सके।

11.4 ऋणी इस बात से भी सहमत हैं कि उक्त शक्तियां मूल्यवान विचार के लिए दी गई हैं और ये कुल मिलाकर प्रकृति में तब तक अपरिवर्तनीय रहेंगी जब तक कि उक्त ऋण के अनुसरण में या उसके संबंध में कोई भी राशि देय बनी रहती है और ऋणी एतद्वारा उस सब की पुष्टि करता है जिसे VWFPL, उसके अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट, अधिकृत प्रतिनिधि, या विकल्प कानूनी रूप से करते हैं या निहित शक्तियों के अभ्यास में किया जाता है।

## 12. सैट ऑफ (ग्रहणाधिकार)

12.1 VWFPL के किसी भी अधिकार के भेदभाव के बिना, VWFPL के पास ऋणी(यों) के किसी भी खाते/खातों में उपलब्ध ऋण के लिए प्रदान पूर्ण राशि को ग्रहण करने का सर्वोपरी ग्रहणाधिकार होगा, और ऋणी VWFPL को VWFPL के संग ऋणी के खाते/खातों से राशि लेने या ऋण राशि लगाने, जो VWFPL के संग ऋणी के किसी भी खाते पर मूल या ब्याज या अन्य देय राशि को पूर्ण करने के लिए लागू है, की स्वीकृति देता है।

12.2 इसमें निहित कुछ भी ऐसी किसी सामान्य या विशेष ग्रहणाधिकार जिसका VWFPL कानूनी या अथवा रूप से हकदार है या होगा, या VWFPL के किसी भी अधिकार अथवा उपाय, जिसमें ऋणी(यों) की वर्तमान या भविष्य की प्रतिभूति, गारंटी, शुल्क शामिल हैं, से पक्षपात या प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

12.3 ऋणी इससे भी सहमत हैं कि VWFPL के किसी अन्य अधिकार या ग्रहणाधिकार से पक्षपात के बिना, VWFPL किसी भी समय तथा ऋणी(यों) को बिना सूचित किये, VWFPL के संग ऋणी(यों) के सभी अथवा किसी भी खातों (साबधि जमा राशि सहित) और उसके सभी ऋण एवं देनदारियों को एकत्र अथवा समेकित करने तथा ऐसे किसी खाते में मौजूद कोई ऋण राशि को VWFPL की ओर ऋणी(यों) की देनदारियों के लिए ग्रहण या हस्तांतरित करने का हकदार है, ऐसी देयताएं वास्तविक हों या आकस्मिक, प्राथमिक या संपार्श्विक और चाहे संयुक्त हों या विविध।

## 13. निर्दिष्टीकरण

ऋणी, VWFPL की लिखित सहमति के बिना, इस समझौते या इसके तहत किसी भी अधिकार, दायित्व या कर्तव्यों को किसी अन्य को नहीं सौंपेंगे। VWFPL, किसी भी समय इस समझौते और अन्य लेन दे दस्तावेजों के तहत उसके अधिकार, लाभ एवं कर्तव्यों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से सौंप सकता है। इस तरह के सौंपने अथवा हस्तांतरण के बावजूद, यदि VWFPL द्वारा सूचित न किया जाये, तो ऋणी इस समझौते के तहत VWFPL को सभी भुगतान करते रहेंगे और VWFPL को किये जाने पर ऐसे सभी भुगतानों के द्वारा ऋणी को ऐसे भुगतानों के सभी कर्तव्यों से पूर्ण रूप से मुक्त करना शामिल होगा।

## 14. प्रतिभूतिकरण

14.1 ऋणी व्यक्त रूप से स्वीकार करते हैं कि बिना ऋणी के सन्दर्भ या सूचना के, और ऋणी की अनुमति लिए बिना ऋणी की कोई भी या सभी बकाया या देय राशि को VWFPL की पसंद के तृतीय पक्ष को पूर्ण या आंशिक रूप से, और VWFPL द्वारा निश्चित नियमों पर बेचने, सौंपने या अथवा किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करने (यदि VWFPL को उचित लगे तो, ग्राहक, संपत्तिभागी या हस्तांतरी की ओर से ऋणी के विरुद्ध कार्रवाई करने के शक्ति के अधिकार को कायम रखते हुए) का हकदार है। कोई भी ऐसी गतिविधि या



बिक्री, सौंपने अथवा हस्तांतरण से ऋणी उस तृतीय पक्ष को एकल या VWFPL या किसी भी अन्य व्यक्ति के सह ऋणदाता रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य होगी। इस संबंध में कोई भी लागत, चाहे बिक्री, सौंपने या हस्तांतरण या अधिकारों के पालन और बकाया एवं देय राशि की वसूली के कारण, ऋणी(यों) द्वारा व्यय की जाएगी। ऋणी VWFPL की लिखित सहमति के बिना इस समझौते या इसके तहत किसी भी अधिकार, दायित्व या कर्तव्यों को किसी अन्य को नहीं सौंपेंगे।

14.2 उपधारा 14.1 के प्रावधानों से भेदभाव के बिना, VWFPL (अपने स्वविवेक से), बिना ऋणी को सूचित करे, पूर्ण या आंशिक रूप से ऋण या ऋणी(यों) के बकाया के ऋण जोखिम को किसी अन्य व्यक्ति से साझा कर सकता है। इसके बावजूद, इस समझौते और अन्य लेनदेन दस्तावेजों के तहत VWFPL के सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज, विशेष पद, और अन्य लाभ एवं विशेषाधिकार समान नियम एवं शर्तों पर कायम, प्रभावी और लागू करने योग्य रहेंगे तथा ऋणी इस समझौते और अन्य लेनदेन दस्तावेजों के कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

14.3 इस संबंध में कोई भी लागत, चाहे बिक्री, सौंपने या हस्तांतरण या अधिकारों के पालन और बकाया एवं देय राशि की वसूली के कारण, ऋणी(यों) द्वारा व्यय की जाएगी।

## 15. क्रॉस डिफॉल्ट

ऋणी स्वीकार करते हैं कि इस समझौते के तहत ऋण के भुगतान होने पर, परंतु VWFPL से प्राप्त किसी अन्य वित्तीय सुविधा के तहत कोई बकाया होने की स्थिति में VWFPL ऋणी(यों) द्वारा इस समझौते के तहत प्रदान प्रतिभूतियों को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा ऋणी इसके द्वारा VWFPL को ऐसी किसी वित्तीय सुविधा के लिए प्रतिभूतियों को बढ़ाने की अनुमति देता है। उसी प्रकार, इस समझौते के तहत ऋणी के किसी बकाया होने की स्थिति में, VWFPL ऋणी द्वारा VWFPL की किसी अन्य वित्तीय सुविधा के तहत प्रदान प्रतिभूतियों को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होगा और ऋणी ऐसी किसी प्रतिभूति को इस समझौते के बकाया के लिए शामिल करने की सहमति देता है।

## 16. क्रॉस लायबिलिटी

16.1 ऋणी और/या सह-ऋणी सहमत हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि VWFPL अपने पूर्ण विवेक पर ऋणी और/या सह-ऋणी द्वारा किए गए किसी भी भुगतान को इस समझौते के तहत या उसके अनुसार ऋणी और/या सह-ऋणी द्वारा किए गए किसी और समझौते या लेन देन और/या किसी अन्य ऋणग्रस्तता की ओर यथोचित कर सकता है और इस तरह का यथोचित करना ऋणी और/या सह-ऋणी के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा जो इस अनुबंध के तहत देय राशि के भुगतान के लिए VWFPL को उत्तरदायी बने रहेंगे, जिनके संबंध में इस तरह के धन का भुगतान किया गया था, लेकिन ऋणी और/या सह-ऋणी किसी अन्य समझौते या लेनदेन को कर लिया गया किसी और ऋणग्रस्तता की ओर।

16.2 इसके अलावा, ऋण शेष की अदायगी के बावजूद, ऋणी और/या सह-ऋणी एतद्वारा स्पष्ट और अपरिवर्तनीय रूप से VWFPL को इस समझौते के तहत VWFPL के पक्ष में या ऋणी और/या सह-ऋणी द्वारा किए अन्य समझौते के तहत तैयार की गयी प्रतिभूतियों में किसी या सभी को अपने कब्जे में लेने के लिए या बेचने/हस्तांतरण करने या अन्यथा निपटान के लिए अधिकृत करते हैं या VWFPL के पास किसी अन्य प्रतिभूति दस्तावेज या VWFPL के पास कोई जमा या VWFPL के तहत या उसके कब्जे में और उसे VWFPL को देय राशि के संतुष्टि तक यथोचित करने के लिए ऋणी और/सह-ऋणी या ऋणी और/सह-ऋणी की ऋणीयता के कारण। इस समझौते के प्रावधान और इस समझौते के अनुसार निष्पादित किसी भी प्रतिभूति दस्तावेज इस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा और विनियोग के निपटान के तरीके के लिए उत्परिवर्ती उत्परिवर्तन लागू होंगे।

16.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्रहणाधिकार और क्रॉस-लायबिलिटी का उपयोग ऋणियों में किसी एक या सह-ऋणियों में एक दूसरे के खिलाफ राशि को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है।

#### 17. अधीनस्थ ऋण

ऋणी एतद्वारा सहमति व्यक्त करते हैं कि उनकी समूह कंपनियों/सहयोगियों/निदेशकों, भागीदारों, और/या मित्रों एवं रिश्तेदारों या उनमें से किसी के द्वारा सभी ऋण, अग्रिम राशि, और अन्य राशियों को यहाँ प्रदान ऋण की तुलना में अधीनस्थ ऋण माना जायेगा। ऋणी यह भी घोषित करते हैं कि ऋणी ऐसे किसी भी ऋण और अग्रिम राशि को पूर्ण या आंशिक रूप अथवा किसी भी ब्याज का भुगतान नहीं करेगा जब तक कि ऋण और/या इस समझौते के तहत VWFPL के बकाया को पूरा नहीं चुकाया जाता है।

#### 18. जानकारी का खुलासा

18.1 VWFPL, जैसा उसके अनुसार उचित एवं आवश्यक हो, निम्न में से सभी या कोई भी जानकारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (CIBIL) या आरबीआई द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी भी अन्य एजेंसी, या किसी वैधानिक प्राधिकरण अथवा निकाय, समूह कंपनियों, बैंक, वित्तीय संस्थानों, क्रेडिट ब्यूरो, एजेंसियों, डेटाबैंक, या संभावित नियुक्त या किसी अन्य तृतीय पक्ष (सम्मिलित रूप से "क्रेडिट ब्यूरो") के समक्ष खुलासा करने का हकदार है- (i) ऋणी(यों) से संबंधित जानकारी और डाटा (ii) ऋण, उसके नियम, लेनदेन दस्तावेज और/या VWFPL के पक्ष ऋणी द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूतियाँ, उनकी भुगतान/क्रेडिट इतिहास या संबंधित कोई भी दायित्व (iii) पूर्वोक्त दायित्वों के निर्वहन के दौरान ऋणी(यों) द्वारा हुई डिफॉल्ट, यदि कोई है। ऋणी इसके द्वारा VWFPL को अपने आधार का विवरण प्रदान करने और उसके प्रमाणन के लिए कोई भी बायोमेट्रिक/शारीरिक परीक्षा में शामिल होकर VWFPL को पूर्ण सहयोग करने की सहमति देता है। ऋणी इसके द्वारा (क) ऐसी आधार संबंधी विवरण/ दस्तावेज/ जानकारी का VWFPL द्वारा भण्डारण और (ख) क्रेडिट ब्यूरो सहित किसी तृतीय पक्ष से वह अथवा उनमें से कुछ साझा करने की सहमति देता है।

18.2 VWFPL (क) जैसा उचित लगे, उस रूप में पूर्वोक्त विवरण या जानकारी का उपयोग कर सकता है, (ख) VWFPL/ वित्तीय संस्थानों और अन्य ऋण प्रदाताओं या आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के समक्ष विचार के लिए संसाधित जानकारी, डाटा, दस्तावेज या उत्पाद प्रस्तुत कर सकता है या (ग) उसे ऋणी(यों) या उनके परिवार के सदस्यों की ऋण के लिए आगे के आवेदनों के लिए आधार बना सकता है, या धोखाधड़ी रोकने के लिए उसी का उपयोग कर सकता है।

18.3 ऋणी(यों) द्वारा VWFPL को समय-समय पर प्रदान सभी जानकारी, डाटा, या उत्पाद सत्य एवं सही होने चाहिए।

18.4 यदि ऋणी भुगतान या निर्वहन करने में कोई डिफॉल्ट करता है, तो VWFPL और/या क्रेडिट ब्यूरो को दोषी के रूप में ऋणी(यों) और/या उसके निदेशकों/हिस्सेदारों/सह-आवेदकों के नामों सहित डिफॉल्ट का विवरण ऐसे प्रकार तथा ऐसे माध्यम से व्यक्त अथवा प्रकाशित करने का अयोग्य अधिकार है जैसा VWFPL और/या आरबीआई अपने पूर्ण विवेक में उचित समझे।

18.5 ऋणी वर्तमान अथवा भविष्य में जानकारी/दस्तावेज साझा/प्रकट करने के लिए और उन कारणों से होने वाले किसी भी परिणामों के लिए VWFPL को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। इस उपधारा के प्रावधान इस समझौते के समाप्त होने के बाद और ऋणी(यों) के बकाया राशि के भुगतान एवं निर्वहन के बाद भी प्रभावी रहेंगे।

#### 19. कानून/मध्यस्थता/अधिकार क्षेत्र

- 19.1 ऋण, यह समझौता और अन्य लेन-देन दस्तावेजों (जब तक कि इस समझौते या इस तरह के किसी भी लेन-देन दस्तावेज में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है) को भारत के कानूनों के अनुसार नियंत्रित तथा अनुवादित किया जायेगा।
- 19.2 इन दस्तावेजों से या किसी भी प्रकार इनसे संबंधित रूप से या इनके निर्माण, अर्थ अथवा प्रभाव या इन पक्षों के अधिकारों अथवा दायित्वों के कारण उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद और/या दावे मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों या किसी वैधानिक संशोधन या पुनर्मूल्यांकन के अनुसार मध्यस्थता से सुलहाये जायेंगे, और VWFPL द्वारा नियुक्त एक एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित किये जायेंगे। मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति की मृत्यु, इनकार, असमर्थता या अक्षमता की स्थिति में VWFPL उसके स्थान पर किसी आया व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा। मध्यस्थता की कार्यवाही मुंबई में या VWFPL द्वारा चयनित ऐसे किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जाएगी। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम तथा सभी संबंधित सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।
- 19.3 उपर्युक्त उपधारा 19.2 से पक्षपात के बिना, इस समझौते, लेन-देन के दस्तावेजों और बंधक संपत्तियों के संबंध में/से उत्पन्न होने वाली सभी कानूनी कार्रवाई, मुंबई में सक्षम अदालतों और न्यायाधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और ऋणी उस अदालत के एकमात्र क्षेत्राधिकार के लिए प्रस्तुत हैं। हालांकि, VWFPL अपने पूर्ण विवेक से किसी भी अन्य अदालत, न्यायाधिकरण या किसी अन्य उचित मंच पर समझौते से उत्पन्न कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है और ऋणी(यों) इसके द्वारा उस क्षेत्राधिकार को सहमति देते हैं।

## 20. नोटिस

- 20.1 इस समझौते या लेनदेन दस्तावेजों के तहत सभी नोटिस अथवा अन्य संचानियुक्त ऋणी(यों) द्वारा अनुलग्नक I में स्पष्ट पत्रों पर VWFPL को लिखित में देने होंगे। VWFPL को ऐसा कोई नोटिस VWFPL द्वारा वास्तव में प्राप्त तथा स्वीकार होने के बाद प्रभावी माना जायेगा। इस समझौते या लेनदेन दस्तावेजों के तहत सभी नोटिस अथवा अन्य संचार VWFPL द्वारा अनुलग्नक I में स्पष्ट मोबाइल संख्याओं अथवा पत्रों पर ऋणी(यों) को हाथ से वितरण, कोरियर, फैक्स, एसएमएस, या ईमेल के माध्यम से दे सकता है-

- (i) पत्र के माध्यम, व्यक्तिगत रूप से या डाक से भेजे जाने पर, जब पत्र VWFPL के नियंत्रण से निकल चुका है
- (ii) फैक्स, एसएमएस, या ईमेल से भेजे जाने पर, VWFPL को भेजे जाने की रिपोर्ट मिलते ही।

- 20.2 ऋणी(यों) द्वारा संपर्क पते या विवरण में किसी भी परिवर्तन के बारे में VWFPL को लिखित रूप से सूचित करने में विफलता की स्थिति में, इस समझौते में निर्दिष्ट पते पर नोटिस/ पत्राचार की सेवा ऋणी द्वारा प्रदान आखिरी पते पर पर उचित एवं पर्याप्त सेवा मानी जायेगी, चाहे इस तरह के नोटिस को VWFPL को "असेवित" लौटाया जाये या नहीं।

## 21. विविध

- 21.1 यह स्पष्ट रूप से वर्णित तथा घोषित किया गया है कि उत्पाद/उत्पादों के लिए कोई भी निर्माता/ डीलर/आपूर्तिकर्ता जिससे या जिसके द्वारा यह लेनदेन शुरू, तय, या आयोजित किया गया था, उन्हें VWFPL का एजेंट नहीं माना जाएगा तथा VWFPL ऐसे किसी निर्माता/डीलर/आपूर्तिकर्ता के ऋणी(यों) के समक्ष किसी भी प्रतिनिधित्व या बयान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 21.2 आम परिपाटी के अनुसार तथा वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए VWFPL की खाता बहियों/रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियाँ और/या VWFPL के किसी नामित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वर्णन,

ऋणी(यों) के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस तरह की प्रविष्टियाँ और/या वर्णन ऋण के संबंध में दर्ज ऋणी(यों) की देनदारी की मौजूदगी और राशि के प्रथम-दृष्टया निर्णायक सबूत होंगे।

- 21.3 यह समझौता और संलग्न अथवा संदर्भित कोई भी अन्य दस्तावेज, यहाँ वर्णित अथवा आकस्मिक सभी नियम एवं शर्तों को एकीकृत करते हैं, और विषय के संबंध में इस समझौते से पहले जारी स्वीकृति पत्र के प्रावधानों, जो कि अतिरिक्त एवं पूरक हैं तथा इस समझौते की शर्तों के प्रतिकूल नहीं हैं, के अलावा सभी मौखिक वार्ताओं और पूर्वलेखनों का उल्लंघन करते हैं। इस समझौते के नियमों, शर्तों और प्रावधानों तथा संलग्न अथवा संदर्भित कोई भी समझौते या दस्तावेजों के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में इस समझौते के नियम, शर्तों और प्रावधान कायम रहेंगे।
- 21.4 VWFPL/उसकी संबद्ध/समूह कंपनियों को विपणन गतिविधियों के लिए इस समझौते एवं लेन-देन दस्तावेजों और सर्वेक्षण के दौरान, बाहरी स्रोतों के माध्यम से, उपभोगता रिपोर्ट सहित, ऋणी(यों) द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करने का अधिकार है। VWFPL इस जानकारी का उपयोग मेल सूचियाँ बनाने के लिए कर सकता है, जिनको वह कंपनियाँ इस्तेमाल कर सकती हैं जिनके साथ VWFPL ऋणी(यों) के लिए विपणन ऑफर बनाने के लिए काम करेगा। VWFPL को समय-समय पर ऋण की नीतियों, विशेषताओं और लाभों को संशोधित करने का अधिकार है तथा उचित माध्यम से ऋणी(यों) को ऐसे किसी संशोधनों/ परिवर्तनों के बारे में सूचित कर सकता है। ऋणी(यों) जब तक संशोधन/परिवर्तन की तारीख से पहले तक ऋण चुकता/ रद्द नहीं किया जाता है, तब तक इस प्रकार के संशोधन/परिवर्तन से बाध्य रहने के लिए सहमत है।
- 21.5 इस समझौते या किसी अन्य लेन-देन दस्तावेज का कोई प्रावधान, जो किसी भी अधिकार-क्षेत्र में निषिद्ध या अप्रवर्तनीय है, ऐसे अधिकार क्षेत्र के अनुसार, निषेध या अप्रवर्तन की सीमा तक अप्रभावी होगा परंतु उससे इस समझौते या इस प्रकार के अन्य लेनदेन दस्तावेजों के शेष प्रावधानों को रद्द या किसी अन्य अधिकार-क्षेत्र में इस तरह के प्रावधान की प्रभावित नहीं करेगा।
- 21.6 किसी भी चूक या अन्यथा इस समझौते अथवा अन्य लेन-देन के दस्तावेजों के तहत किसी भी अधिकार, शक्ति, या उपाय को लागू करने में हुई देरी या लुप्ती के कारण कोई भी ऐसा अधिकार, शक्ति, या उपाय भंग नहीं होगा या उसको माफी अथवा ऐसी किसी चूक के मामले में स्वीकृति के रूप में नहीं लिया जायेगा, और न ही किसी चूक के संबंध में VWFPL की कार्रवाई या निष्क्रियता अथवा सहमती से किसी अन्य चूक के लिए VWFPL के अधिकार, शक्ति, या उपाय को प्रभावित करेगा। इस समझौते और अन्य लेन-देन के दस्तावेजों के तहत VWFPL के अधिकार जितनी बार आवश्यक हो प्रयोग किये जा सकते हैं, संचयी हैं और सामान्य कानून के तहत उनके अधिकारों के अनन्य नहीं हैं तथा केवल लिखित एवं विशेष रूप में ही VWFPL के एकमात्र विवेक पर माफ किए जा सकते हैं।
- 21.7 सद्भाव में की गयी या इस समझौते अथवा किसी भी लेन-देन दस्तावेज के अनुसरण में नियत की गयी किसी भी कार्रवाई के लिए VWFPL या उसके किसी भी निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी, सलाहकार, मूल्यांकनकर्ता, ऑडिटर, एजेंसियों के खिलाफ कोई भी मुकदमा, कार्रवाई, अभियोजन, या अन्य कानूनी कार्रवाई की चाहिए।
- 21.8 ऋणी स्वीकार करते हैं कि समझौते में सभी विवरण ऋणी की उपस्थिति में भरे गए हैं तथा उन्होंने ऋण के सभी नियमों एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है। ऋणी यह भी स्वीकार करते हैं कि समझौते और अन्य दस्तावेजों के उक्त नियम एवं शर्तों को ऋणी(यों) को उनके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में स्पष्ट कर दिया गया है और ऋणी(यों) ने नियम एवं शर्तों का पूर्ण अर्थ समझ लिया है और उन्होंने इस समझौते की विषय

वस्तु को सत्यापित करने तथा समझने के बाद अपने हस्ताक्षर किए हैं।

- 21.9 ऋणी इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस समझौते और लेन-देन दस्तावेजों की एक प्रति उनमें से प्रत्येक को प्रदान की गयी है।
- 21.10 इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष के सभी उपाय चाहे वह किसी भी अधिनियम, नागरिक कानून, प्रथा, या व्यापार द्वारा प्रदान किए गए हों, संचयी हैं न कि वैकल्पिक तथा क्रमिक अथवा समवर्ती रूप से लागू किए जा सकते हैं।
- 21.11 जब तक संदर्भ के विपरीत निर्माण की आवश्यकता न हो, एकवचन में बहुवचन और बहुवचन में एकवचन शामिल होगा, तथा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक शामिल होंगे।

साक्षी के सामने, सभी पक्षों ने ऊपर लिखित दिन एवं वर्ष को अपने संबंधित भागों को स्थापित एवं स्वीकार किया है

निम्नलिखित "ऋणी(यों)" द्वारा

हस्ताक्षरित, मुहरबंद एवं प्रदत्त

सह-ऋणी नाम 1

**\*\*स्वामित्व फर्म की मुहर के साथ मालिक का हस्ताक्षर**

**\*\*साझेदारी फर्म के मामले में प्रत्येक साझेदार का हस्ताक्षर**

**\*\*कर्ता और एचयूएफ के प्रत्येक बयस्क सदस्य का हस्ताक्षर**

**\*\*कंपनी/सोसायटी/ट्रस्ट के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर (मुहर के साथ गैर-वैयक्तिक हस्ताक्षर की स्थिति में)**

फॉक्सवैगन फाइनेंस प्राइवेट लि. के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी

साक्षी: